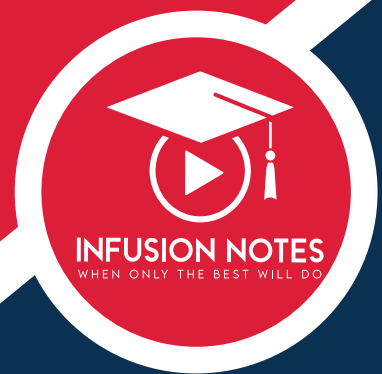




राजस्थान P.T.I. ग्रेड - 3rd (पेपर - 1)

(शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक)

HANDWRITTEN NOTES

भाग - 1

राजस्थान भूगोल + इतिहास +
संस्कृति + राजव्यवस्था

LATEST EDITION



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान P.T.I. ग्रेड - 3rd

(शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक)

पेपर - 1

भाग - 1

राजस्थान भूगोल + इतिहास + संस्कृति +
राजव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “राजस्थान P.T.I. (शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक)” (3rd Grade) को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSMSSB) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “राजस्थान P.T.I. (शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक)” (3rd Grade) भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 8233195718

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

राजस्थान का भूगोल

1. स्थिति एवं विस्तार	1
2. राजस्थान के भौतिक विभाग	13
3. जलवायु	24
4. (अपवाह तंत्र) नदियाँ एवं झीलें	27
5. राजस्थान की वनस्पति	45
6. कृषि	51
7. पशुधन	58
8. राजस्थान में डेयरी विकास	61
9. जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, और लिंगानुपात	63
10. जनजातियाँ	76
11. राजस्थान के प्रमुख उद्योग	80
12. राजस्थान की विभिन्न योजनाएँ	84
13. बजटीय रुझान / राजस्थान का बजट	89
14. प्रमुख पर्यटन केंद्र	98

राजस्थान का इतिहास

- | | |
|--|-----|
| 1. राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता | 105 |
| <ul style="list-style-type: none">• कालीबंगा• आहड़ सभ्यता• गणेश्वर सभ्यता• बैराठ सभ्यता | |
| 2. 8 वीं से 18 वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास | 109 |
| 3. अजमेर के चौहान | 113 |
| 4. दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध (मेवाड़, रणथम्भौर और जालौर) | 115 |
| <ul style="list-style-type: none">• राणा सांगा• महाराणा प्रताप सिंह• राजसिंह• चन्द्रसेन• मानसिंह• महाराजा रायसिंह | |

5. किसान और आदिवासी आंदोलन	165
6. प्रजामंडल आंदोलन	177
7. राजस्थान का एकीकरण	181
8. इतिहास में महिलाओं की भूमिका	187

राजस्थान की कला व संस्कृति

1. लोक देवता और लोक देवियाँ	190
2. राजस्थान के संत	198
3. वास्तुकला - मंदिर किले और महल	205
4. पेंटिंग्स - चित्रकला	219
5. मेले और त्यौहार	227
6. सामाजिक रीति - रिवाज , प्रथाएं	238
7. वस्त्र एवं आभूषण	249
8. लोक संगीत और लोक नृत्य	254
9. भाषा और साहित्य	264

राजस्थान की राजव्यवस्था

1. राज्यपाल	279
2. मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य	284
3. राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव	290
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग संगठन और भूमिका	297
5. राज्य मानवाधिकार आयोग संगठन और भूमिका	298
6. राजस्थान में पंचायती राज	300

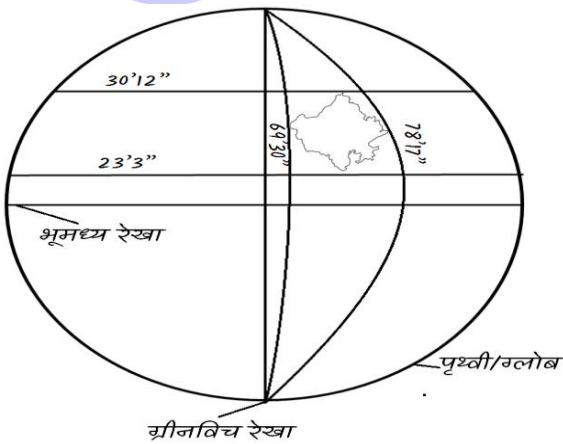
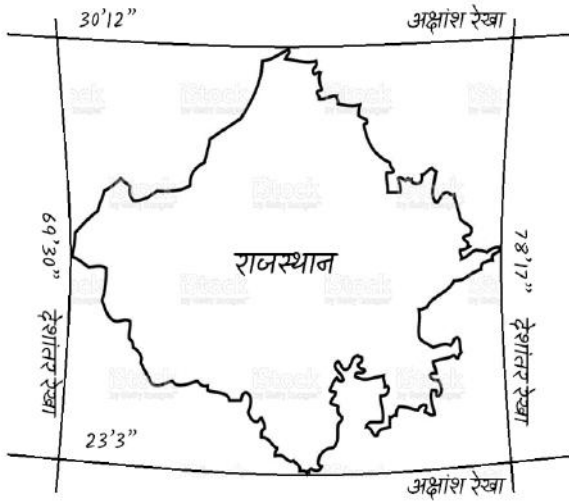
राजस्थान का भूगोल

अध्याय - 1

स्थिति एवं विस्तार

राजस्थान का विस्तार -

राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार $23^{\circ}3''$ से $30^{\circ}12''$ उत्तरी अक्षांश ही तक है जबकि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार $69^{\circ}30''$ से $78^{\circ}17''$ पूर्वी देशांतर है।



नोट :- राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार $7^{\circ}9''$ ($30^{\circ}12'' - 23^{\circ}3''$) है तथा कुल देशांतरीय विस्तार $8^{\circ}47''$ ($78^{\circ}17'' - 69^{\circ}30''$) है।

$1^{\circ} = 4$ मिनट

$1^{\circ} = 111.4$ किलोमीटर होता है।

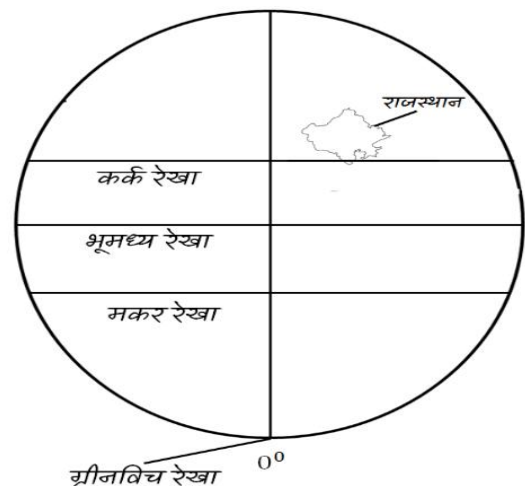
अक्षांश रेखाएँ :- वह रेखाएँ जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनी हुई हैं, अर्थात् भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा माना गया है। (देखें मानचित्र-1)

ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या (90 डिग्री उत्तरी गोलार्द्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्द्ध में) कुल 180 डिग्री है तथा अक्षांश रेखा को शामिल करने पर इनकी संख्या 181 होती है।

देशांतर रेखाएँ :- उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएँ कहा जाता है। ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वैधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180° डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं।

- राजस्थान का कुल क्षेत्रफल $3,42,239$ वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत का 10.41% है। भारत का कुल क्षेत्रफल $32,87,263$ वर्ग किलोमीटर है जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है।
- 1 नवंबर 2000 से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग हो जाने पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बन गया।
- 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या $6,85,48,437$ थी, जो कि कुल देश की जनसंख्या का 5.67% है।

➤ **कर्क रेखा राजस्थान में स्थित :-**



कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है-

1. गुजरात 2. राजस्थान 3. मध्य प्रदेश 4. छत्तीसगढ़
5. झारखंड 6. पश्चिम बंगाल
7. त्रिपुरा 8. मिजोरम

राजस्थान में कर्क रेखा बाँसवाड़ा जिले के मध्य से कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। इसके अलावा कर्क रेखा इंगरपुर जिले को भी स्पर्श करती है, अर्थात् कुल दो जिलों से होकर गुजरती है।

राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है।

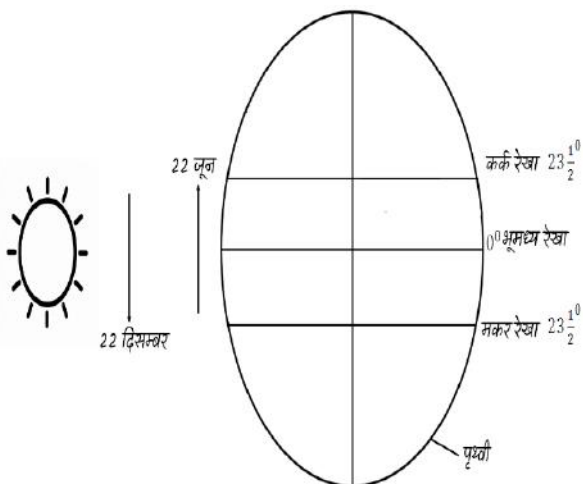
राजस्थान का कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीकी शहर बाँसवाड़ा है।

भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, अतः वहाँ पर तापमान अधिक होता है। जैसे-जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है वैसे-वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है।

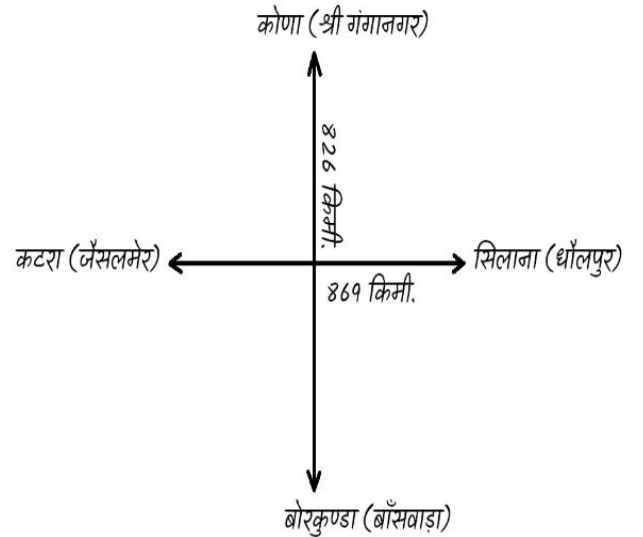
राजस्थान में बाँसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं जबकि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं।

कारण :- बाँसवाड़ा सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है, तथा श्रीगंगानगर सबसे उत्तर में स्थित है।

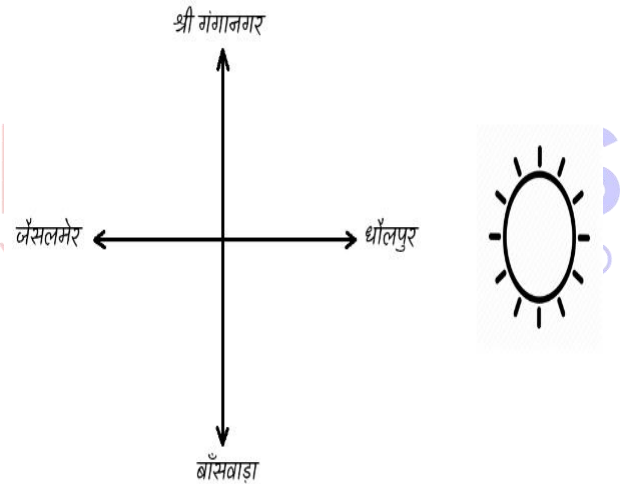
राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला बाँसवाड़ा होना चाहिए, एवं राज्य का सबसे ठंडा जिला श्रीगंगानगर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में राज्य का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला चूरु है। यह जिला सर्दियों में सबसे अधिक ठंडा एवं गर्मियों में सबसे अधिक गर्म रहता है इसका कारण यहां पाई जाने वाली रेत व जिप्सम है।



(निम्न मानचित्र को ध्यान से समझिए) -



पूर्वी देशांतरीय भाग सूर्य के सबसे पहले सामने आता है, इस कारण सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त



राजस्थान के पूर्वी भाग धौलपुर में होता है, जब कि सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है। अतः जैसलमेर में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है।

विस्तार :- राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 826 किलोमीटर है तथा इसका विस्तार उत्तर में श्रीगंगानगर जिले के कोणा गांव से दक्षिण में बाँसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव तक है।

इसी प्रकार पूरव से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर है तथा विस्तार पूरव में धौलपुर जिले के सिलाना गांव से पश्चिम में जैसलमेर जिले के कटरा गांव तक है।

आकृति :-

विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार के समान है।

राज्य की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर (1070 अंतर्राष्ट्रीय व 4850 अंतर्राज्यीय) है।

रेडक्लिफ रेखा :-

रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके संस्थापक सर सिरिल एम रेडक्लिफ को माना जाता है। इसकी स्थापना 14/15 अगस्त 1947 को की गई। इसकी भारत के साथ कुल सीमा 3,310 किलोमीटर है।

रेडक्लिफ रेखा पर भारत के चार राज्य स्थित हैं।

1. जम्मू-कश्मीर (1216 कि.मी.)
2. पंजाब (547 कि.मी.)
3. राजस्थान (1070 कि.मी.)
4. गुजरात (512 कि.मी.)

रेडक्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा- राजस्थान (1070 कि.मी.)

रेडक्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा- गुजरात (512 कि.मी.)

रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय :- श्रीनगर

रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय :- जयपुर

रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्र में बड़ा राज्य :- राजस्थान

रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य :- पंजाब

रेडक्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की कुल सीमा 1070 कि.मी. है। जो राजस्थान के चार जिलों से लगती है।

1. श्रीगंगानगर - (210 कि.मी.)
2. बीकानेर - (168 कि.मी.)
3. जैसलमेर - (464 कि.मी.)
4. बाड़मेर - (228 कि.मी.)

रेडक्लिफ रेखा राज्य में उत्तर में गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ बाखासर गाँव तक विस्तृत है।

रेडक्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिलों पंजाब प्रान्त का बहावलपुर, बहावल नगर व रहीमयार खान तथा सिंध प्रान्त के घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट व थारपारकर राजस्थान से सीमा बनाते हैं।

राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा- बहावलपुर

राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा- खैरपुर

पाकिस्तान के दो राज्य (प्रांत) राजस्थान से छूते हैं।

1. पंजाब प्रांत
2. सिंध प्रांत

[रेडक्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है।]

राजस्थान से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर (464 कि.मी.) व न्यूनतम सीमा बीकानेर (168 कि.मी.) की रेडक्लिफ रेखा से लगती है।

रेडक्लिफ के नजदीक जिला मुख्यालय :- श्रीगंगानगर

रेडक्लिफ के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय :- बीकानेर

रेडक्लिफ पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला :- जैसलमेर

रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला :- श्रीगंगानगर

राजस्थान के केवल अन्तराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों - 2 (बीकानेर, जैसलमेर)

राजस्थान के परिधि जिलों :- 25

राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों :- 23

राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों :- 21

राजस्थान के 2 ऐसे जिलों हैं जिनकी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है :- गंगानगर (पाकिस्तान + पंजाब), बाड़मेर (पाकिस्तान + गुजरात)

राजस्थान के 4 जिलों ऐसे हैं, जिनकी सीमा दो - दो राज्यों से लगती है-

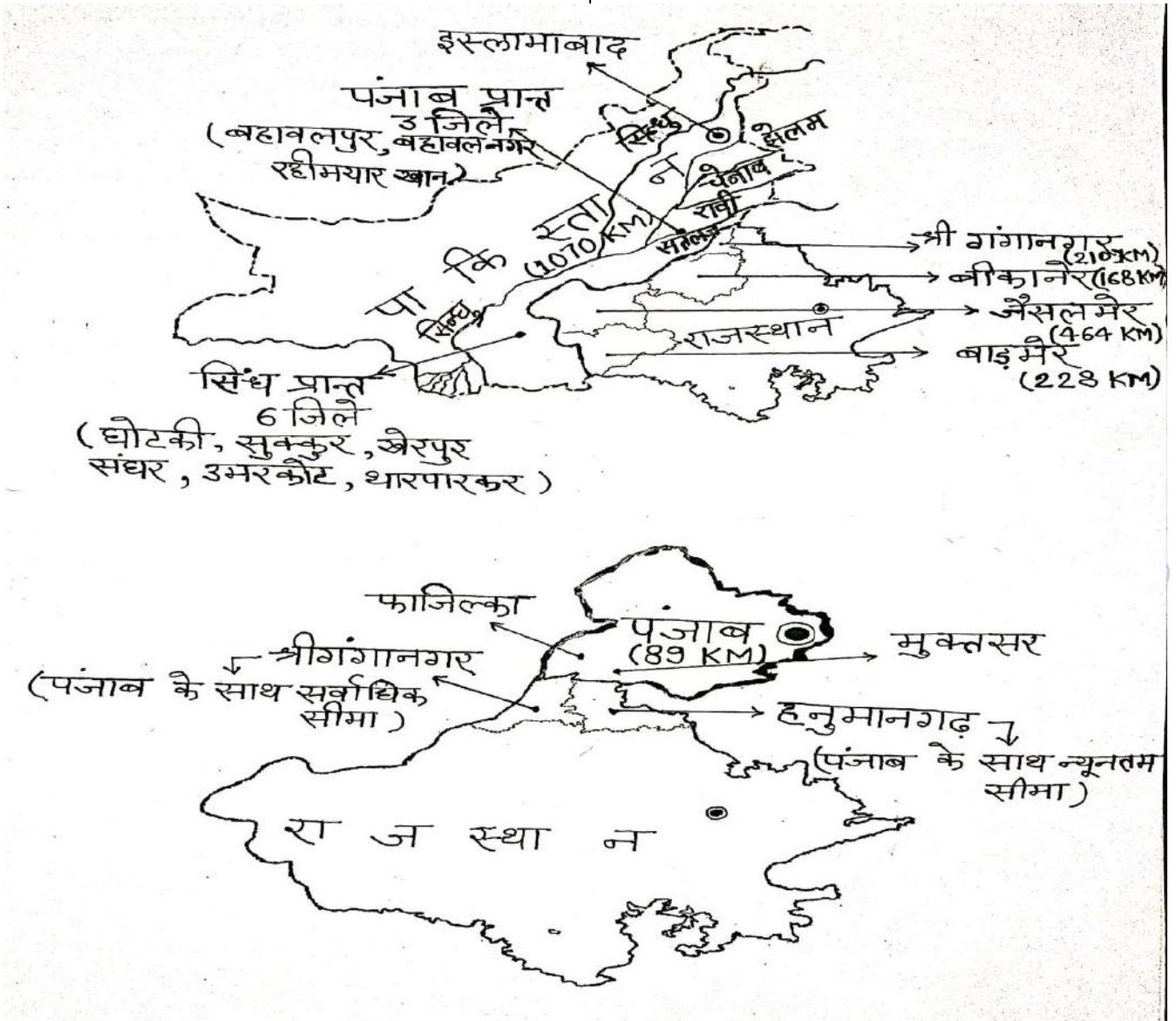
- हनुमानगढ़ :- पंजाब + हरियाणा
- भरतपुर :- हरियाणा + उत्तरप्रदेश
- धौलपुर :- उत्तरप्रदेश + मध्यप्रदेश
- बाँसवाड़ा :- मध्यप्रदेश + गुजरात

राजस्थान की अन्य राज्यों से सीमाएँ :-

पंजाब (89 कि.मी.)

राजस्थान के दो जिलों की सीमा पंजाब से लगती है तथा पंजाब के दो जिलों फाजिल्का व मुक्तसर की सीमा राजस्थान से लगती है। पंजाब के साथ

सर्वाधिक सीमा श्रीगंगानगर व न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की लगती है। पंजाब सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर तथा दूर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है। पंजाब सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला श्रीगंगानगर व छोटा जिला हनुमानगढ़ है।



हरियाणा (1262 कि.मी.) :-

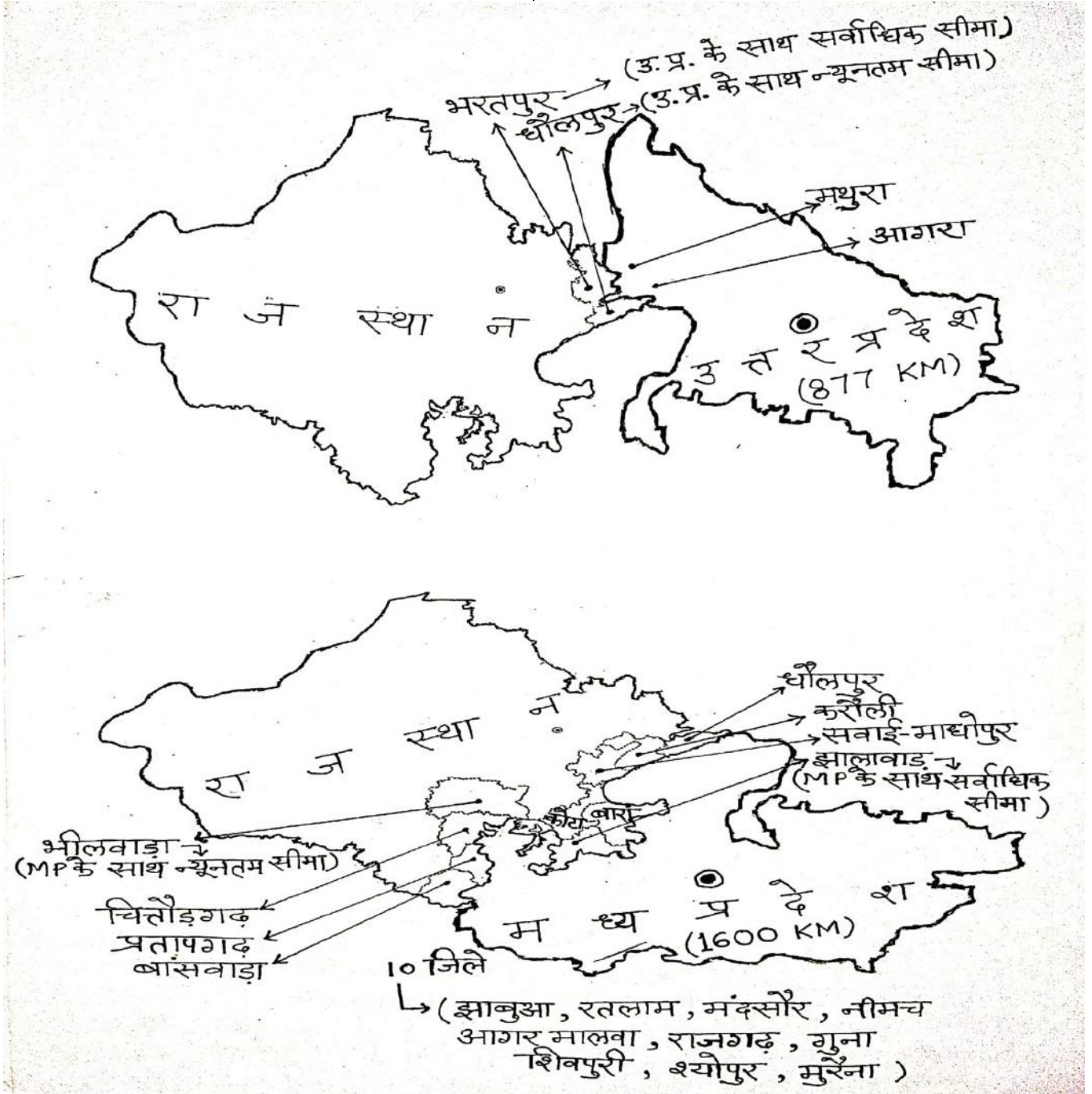
राजस्थान के 7 जिलों की सीमा हरियाणा के 7 जिलों :- सिरसा, फतेहबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात से लगती है। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ व न्यूनतम सीमा जयपुर की लगती है तथा सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ व दूर मुख्यालय जयपुर का है। हरियाणा सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला चुरू व छोटा जिला झुंझुनू है। मेवात (नुह) नव निर्मित

जिला है जो राजस्थान के अलवर जिले को छूता है।

उत्तरप्रदेश (877 कि.मी.) :-

राजस्थान के दो जिलों की सीमा उत्तरप्रदेश के दो जिलों (मथुरा व आगरा) से लगती है। उत्तरप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर व न्यूनतम धौलपुर की लगती है। उत्तरप्रदेश की सीमा के नजदीक जिला

मुख्यालय भरतपुर व दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। उत्तरप्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला भरतपुर व छोटा जिला धौलपुर है।



मध्यप्रदेश (1600 कि.मी.) :-

राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा से लगती है। (झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, निमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्यांपुर, मुरैना) मध्यप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ व न्यूनतम भीलवाड़ा की लगती है तथा सीमा के नजदीक मुख्यालय धौलपुर व दूर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा है। मध्यप्रदेश की सीमा पर

क्षेत्रफल में बड़ा जिला भीलवाड़ा व छोटा जिला धौलपुर है।

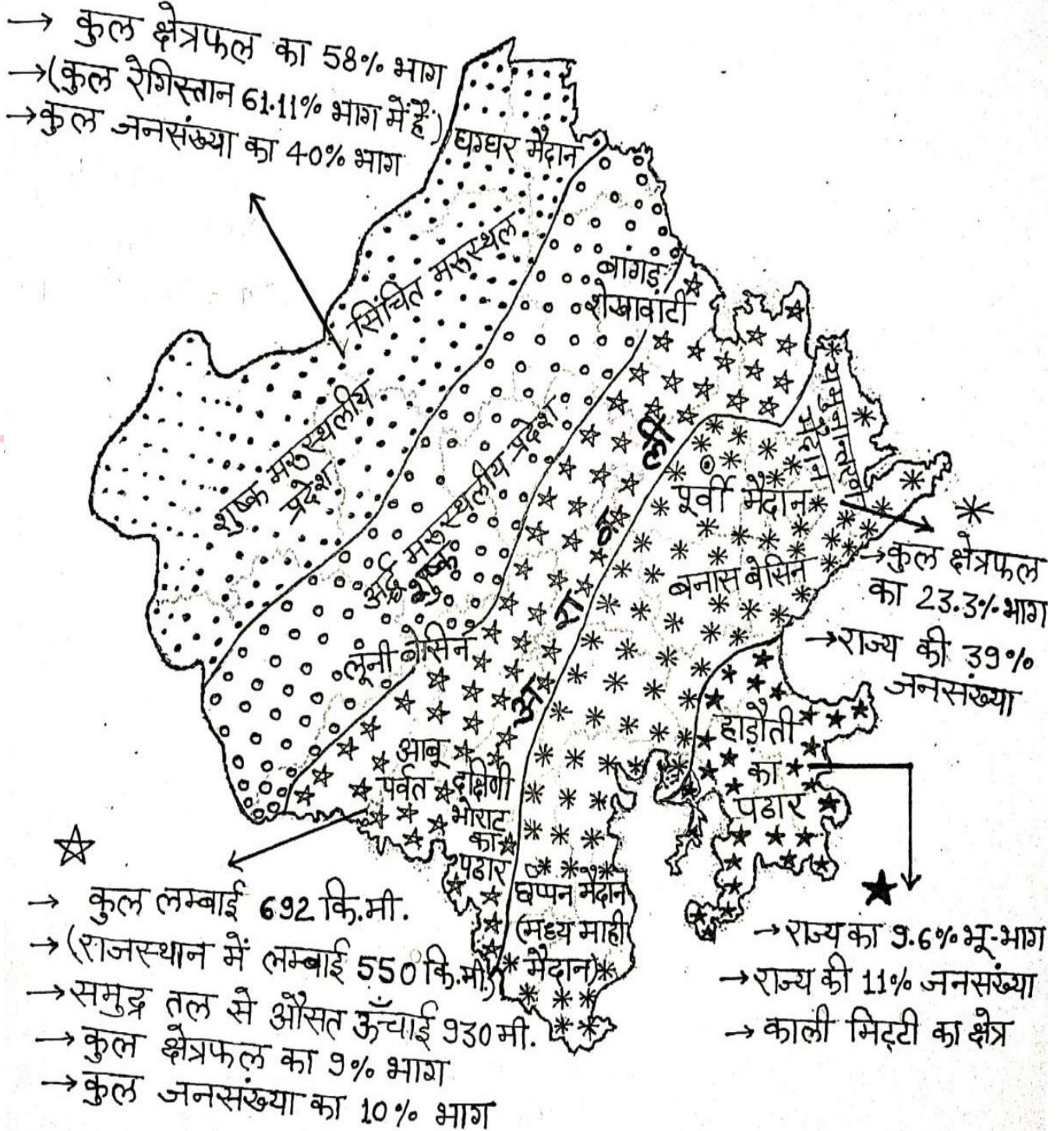
गुजरात (1022 कि.मी.) :-

राजस्थान के 6 जिलों की सीमा गुजरात के 6 जिलों से लगती है। (कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद) गुजरात के साथ

अध्याय - 2

राजस्थान के भौतिक विभाग

••



नोट:- प्रिय पाठकों जैसा कि आपको ज्ञात है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस विशाल राज्य में रेगिस्तान, नदियाँ, पर्वत एवं पहाड़ियाँ, पठार अलग-अलग क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इन की वजह से राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बाँटा गया है-

1. पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश - वह क्षेत्र जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है
2. अरावली पर्वतमाला- वह क्षेत्र जहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है।
3. पूर्वी मैदानी प्रदेश- वह क्षेत्र जहाँ पर अधिकांश दोमट व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है
4. दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश- वह क्षेत्र जहाँ पर अधिकांश मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र को हाड़ोती का पठार भी कहते हैं।

प्रिय छात्रों, इन चारों प्रदेशों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है-

1. **पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश:-** जैसा कि पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र टेथिस सागर का अवशेष है, और अरावली क्षेत्र गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।

पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य परिचय:-

वर्तमान में रेगिस्तान का विस्तार राज्य के कुल 61.11 प्रतिशत हिस्से पर है।

नोट:-पहले ये क्षेत्र केवल 58 प्रतिशत भाग पर ही सीमित था, लेकिन वर्तमान में अरावली पर्वतमाला के कटी - फटी होने के कारण मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है।

अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कुल 12 जिले स्थित हैं, उनमें से 12 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार है। यह जिले निम्न प्रकार हैं-

1. बीकानेर संभाग - बीकानेर, चुरु, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर
2. जोधपुर संभाग - जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली (अपवाद- सिरोही)
3. शेखावाटी क्षेत्र - सीकर, झुंझुनू
4. अजमेर संभाग - नागौर

नोट:- राज्य के सिरोही जिले में मरुस्थल का विस्तार नहीं है अर्थात् अरावली के पश्चिम में स्थित

13 जिलों में से सिरोही एक मात्र ऐसा जिला है, जो मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में शामिल नहीं है।

भार का रेगिस्तान राजस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग और पाकिस्तान में सिंध तथा पंजाब तक फैला है। यह उत्तर - पश्चिम में 644 किमी. लम्बा और 360 किमी चौड़ा है। इस का सामान्य ढाल उत्तर - पूर्व से दक्षिण -पश्चिम की ओर है। मरुस्थल का ऊँचा उठा हुआ उत्तर-पूर्वी भाग 'थली' तथा दक्षिण-पश्चिम भाग नीचे का 'तली' कहलाता है।

इस मरुस्थलीय क्षेत्र में राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है।

यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है तथा इसके अलावा यह विश्व में जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है।

भार के मरुस्थल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं कि यह विश्व का एक मात्र ऐसा मरुस्थल है, जिसके निर्माण में दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं का मुख्य योगदान है। भारत का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है। ग्रीष्म काल में तेज गर्मी के कारण इस प्रदेश में न्यून वायु दाब केन्द्र विकसित हो जाता है जो दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है। ये हवायें सम्पूर्ण प्रायद्वीप में वर्षा करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करने में इस मरुस्थल की उपस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

इस क्षेत्र में शुष्क एवं अत्यंत विषम जलवायु पाई जाती है और तापमान गर्मियों में अत्यधिक (49°C तक) तथा सर्दियों में न्यूनतम (3° C तक) रहता है।

आंकल जीवाश्म पार्क, जलोद्भिद तल छट वाली ग्रेनाइट, खनिज तेल इत्यादि से इस तथ्य की पुष्टि होती है, कि भारत का मरुस्थल 'पर्मा' का बॉनिफेरस युग में टेथिस सागर का हिस्सा था।

भार का मरुस्थल 'पेकियो आर्कटिक अफ्रीका' मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है।

भार के मरुस्थल में स्थित प्रमुख उद्यान 'राष्ट्रीय मरुउद्यान

मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान

इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें बाजरा, मोठ, ग्वार, इत्यादि हैं तथा प्रमुख नदी 'लूनी' है तथा प्रमुख नहर 'इंदिरा गाँधी' नहर है।

इस क्षेत्र में तीन प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है :-

1. इर्ग 2. हम्मादा 3. रेग

रेतीले मरुस्थल को 'इर्ग' कहा जाता है।

पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है इसका विस्तार जैसलमेर, जौधपुर, बाड़मेर व जालौर तक है।

ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत व पथर दोनों पाये जाते हैं अर्थात् मिश्रित मरुस्थल को 'रेग' कहा जाता है। यह जैसलमेर के निकट रामगढ़ वलोदवा क्षेत्रों में पाया जाता है।

प्रसिद्ध जन्तु वैज्ञानिक डॉ. ईश्वर प्रकाश ने कहा है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को मरु क्षेत्र नहीं कहकर 'रक्ष क्षेत्र' कहा जाये क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है।

राज्य का मरुस्थल ऊष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आता है यहां की बलूईया रेतीली मिट्टी से धोरे का निर्माण होता है, जिन्हे टीले, टीबे तथा बालूका स्तूप कहा जाता है। जैसलमेर की स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। धोरे या टीलों के तीन प्रकार होते हैं-

अनुद्वैर्य - हवा के समानान्तर बनने वाले

अनुप्रस्थ- हवा के लम्बत (समकोण पर) बनने वाले टीलें

बरखान:- अर्धचन्द्राकार आकृति वाले धोरे

नोट:- बरखान प्रकार के धोरे सर्वाधिक नुकसानदायी एवं सर्वाधिक अस्थिर होते हैं।

नोट:- जौधपुर राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालूका स्तूप पाये जाते हैं।

मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख संरचनाएं तथा शब्दावली

1. **लाठी सीरीज :-** पाकिस्तान देश के सहारे (पास में) पोरकरण से मोहनगढ़ तक की क्षेत्र लाठी सारिज के नाम से जाना जाता है।

• 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस क्षेत्र में 80 मीटर लम्बी तथा

60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भीक जल पट्टी का विस्तार है।

• इस क्षेत्र में धामण, करड, अजाण, लीलोन, सेवण घास मुख्य रूप से पायी जाती है।

• **नोट :-** सेवण घास का कटा हुआ रूप लीलण कहलाता है।

• राज्य का राज्य पक्षी गोडावण अपने अण्डे सेवण घास पर देता है। इसी कारण सेवण घास को गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कहा जाता है।

• इसी क्षेत्र में जैसलमेर जिले की सम तहसील में चन्दन गांव में एक मीठे पानी का जल स्रोत (कुआँ) है। जिससे प्रति घन्टे में लगभग 2.30 लाख लीटर मीठा पानी निकलता है। इसे चन्दन नलकूप या 'थार का घड़ा' भी कहा जाता है। इस कुएं का वास्तविक नाम 'चौहान' है।

2. **पीवणा :-** इस क्षेत्र में पाये जाने वाला जहरीला सर्प जो डंक नहीं मारता बल्कि रात्रि में सोते हुए व्यक्ति को श्वास के द्वारा जहर देकर मारता है।

3. **मावठ / महावठ / शीतकालीन वर्षा:-** पश्चिमी विक्षोभों तथा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत काल में होने वाली वर्षा जो रबी की फसल के लिये उपयोगी होती है मावठ कहलाती है।

4. **नेहड़ :-** लगभग 100 वर्ष पूर्व राज्य के जालौर तथा बाड़मेर जिले में समुद्र का जल आकर ठहरता था। अतः जालौर व बाड़मेर जिले का क्षेत्र नेहड़ कहलाता था। नेहड़ का शाब्दिक अर्थ होता है 'समुद्र का जल'।

मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संचय के तरीके

1. **आगोर :-** प्राचीन काल में मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा के जल का संचय करने के लिये टांके बनाये जाते थे, जिन्हे आगोर कहा जाता था

2. **खडीन :-** कृषि के लिए वर्षा जल का संचय करना।

3. **नाडी :-** मानव के दैनिक आवश्यकताओं तथा पशुपालन के लिये वर्षा का जल संचय करना।

4. **टोबा :-** नाडी को कृत्रिम रूप से और अधिक गहरा करना टोबा कहलाता है।

5. **बेरी :-** खडीन तथा नाडी के पास जो जल का रिसाव होता था उस जल को पुनः उपयोग में लाने हेतु इनके आस-पास छोट-छोटे कुँए बना दिये जाते थे जिन्हे बेरी कहा जाता है।

6. प्लाया :- सामान्य भाषा में गहरे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया कहा जाता है। वर्षा काल में वर्षा का जल मरुस्थल के बड़े-बड़े गर्तों में आने के बाद वहाँ की मिट्टी से लवणता को प्राप्त कर खारा हो जाता है। ऐसे बड़े गर्तों को प्लाया कहा जाता है। सर्वाधिक प्लाया झीलें जैसलमेर में हैं।

7. रन/टाटा/ढाढ :- मरुस्थल में रेत के छोटे-छोटे गड्ढे जिनमें वर्षा का जल आकर ठहरता है तथा मिट्टी से लवणता को प्राप्त कर खारा हो जाता है। ऐसे छोटे-छोटे गड्ढे रन/टाटा/ढाढ कहे जाते हैं।

8. मिली/पोखर :- छोटे-छोटे ऐसे गड्ढे जिन में वर्षा का मीठा जल आकर ठहरता है तिल्लीया पोखर कहलाते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

खादर :- चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड्डे युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं।

धोरे :- रेगिस्तान में रेत के बड़े-बड़े टिले, जिनकी आकृति लहरदार होती हैं।

बरखान :- रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े-बड़े टिले। यह एक स्थान से दूसरे स्थान गतिशील रहते हैं।

लघु मरुस्थल :- महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग जो कच्छ से बीकानेर तक फैला है।

लूनी बेसिन :- अजमेर के दक्षिण-पश्चिम से अरावली श्रेणी के पश्चिम में विस्तृत लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है।

बीहड़ भूमि :- चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियाँ व टीले।

राजस्थान व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलें - भिंड मुरैना, धौलपुर आदि में ऐसी बहुत-सी कंदराएँ (Revines) हैं।

धरियन :- जैसलमेर जिलें के ऐसे भू-भाग, जहाँ आबादी लगभग नगण्य है, स्थानांतरित बालुका स्तूप को स्थानीय भाषा में इस नाम से पुकारते हैं।

वागड़ प्रदेश :- बाँसवाड़ा व इंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं।

बांगर प्रदेश :- यह अरावली पर्वत एवं पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है जो मुख्यतः झुंझुनू सीकर व नागौर जिलें में विस्तृत है।

छप्पन के मैदान :- बाँसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्राम समूहों (56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र) का क्षेत्र।

पीड़मांट :- अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन।

मैदान :- पहाड़िया जिनके उच्च भू-भाग टीलेनुमा हैं।

बिजासण का पहाड़ :- मांडलगढ़ के कस्बे के पास स्थित है।

विंध्याचल पर्वत :- राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में तथा मध्य प्रदेश में स्थित है।

भभूल्या :- राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर को स्थानीय भाषा में भभूल्या कहते हैं।

पुरवइयाँ :- बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को राजस्थान के स्थानीय भाषा में पुरवइयाँ (पुरवाई) कहते हैं।

शुष्क मरुस्थल

उत्तर पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ वनस्पति नगण्य या नाम मात्र की पायी जाती है, तथा वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। इस क्षेत्र में वर्षा 0 से 25 से.मी. तक होती है।

इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ बहुतायात में पायी जाती हैं।

1. बालूका स्तूप युक्त प्रदेश :- उत्तर पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ धोरे/टीले या टीलों का निर्माण भी होता है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है।

बालूका स्तूप युक्त प्रदेश के अन्तर्गत राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चारों जिलें गंगा नगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा चुरू व पश्चिमी नागौर एवं जाँधपुर जिला शामिल हैं।

2. बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश :- उत्तर पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ धोरों का निर्माण नहीं होता है अर्थात् वह क्षेत्र जो चट्टानों से अच्छादित है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है।

इस क्षेत्र में जुरासिक काल के जीवाश्म के अवशेष पाये जाते हैं इसका उदाहरण जैसलमेर जिलें में स्थित आंकल गाँव में 'बुड फॉसिल पार्क' है।

नोट :- राज्य का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम गाँव जैसलमेर जिलें में स्थित है तथा यही

गाँव (सम गाँव) राज्य का न्यूनतम वनस्पति या वनस्पति रहित क्षेत्र है।

इस क्षेत्र में जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील, बाड़मेर जिले की छप्पन की पहाड़ियाँ, फलोदी तहसील का कुछ क्षेत्र इस प्रदेश के अन्तर्गत आता है।

अर्द्ध शुष्क मरुस्थल

शुष्क मरुस्थल तथा अरावली के मध्य का क्षेत्र अर्द्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है।

यह प्रदेश शुष्क मरुस्थल से 25 से.मी. वर्षा रेखा द्वारा तथा अरावली प्रदेश में 50 से.मी. वर्षा द्वारा विभाजित होता है।

इस प्रदेश के अन्तर्गत पूर्वी चुर, पश्चिमी झुन्झुनू, सीकर तथा जौधपुर, नागौर, पाली व अजमेर का अधिकांश भाग तथा बाड़मेर का दक्षिण-पूर्वी भाग शामिल है।

धरातल के आधार पर हम अर्द्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांट सकते हैं।

1. घग्घर का मैदान
2. शेखावाटी का अन्तः प्रवाह क्षेत्र
3. नागौर का पठार
4. लूनी बेसिन/गोड़वाणा प्रदेश

घग्घर का मैदान

राज्य के श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी का प्रवाह क्षेत्र को घग्घर का मैदान के नाम से जाना जाता है।

घग्घर नदी का पाट स्थानीय भाषा में 'नाड़ी' तथा घग्घर नदी का मैदान स्थानीय भाषा में 'बग्गी' कहलाता है। घग्घर नदी के इस प्रवाही क्षेत्र में भूरी मटीयार मिट्टी पायी जाती है।

नोट :- हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्र में पत्थर की परत है जिसके कारण पानी जमीन के पेटे तक नहीं बैठ पाता है तथा ऊपर ही बचा रहता है तथा कुछ समय बाद दल - दल में परिवर्तित हो जाता है। इस दल - दल के परिणाम स्वरूप वातावरण में होने वाले समस्त परिवर्तनों को सेम समस्या कहा जाता है।

नोट :- हनुमानगढ़ जिले का बंडो पोल गाँव सेम समस्या के लिए प्रदेश में जाना जाता है।

शेखावाटी का अन्तः प्रवाह क्षेत्र

- माना जाता कि शेखावाटी को राव शेखा द्वारा बसाया गया था। अतः इस क्षेत्र को शेखावाटी नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य के सीकर, चुरू व झुन्झुनू जिले आते हैं।

- इस क्षेत्र में चुने की विशाल परत पायी जाती है। इसी कारण यहां गर्मियों में अधिकांश गर्मियों तथा सर्दियों में अधिकांश सर्दी का अनुभव होता है।

नोट:- इसी परत के कारण राज्य का सबसे ठण्डा एवं गर्म दोनों चुरू ही हैं।

नोट:- राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापान्तर वाला जिला चुरू एवं न्यूनतम तापान्तर वाला जिला इंगूरपुर है।

नोट:- शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है, तथा कुओं को अधिक गहरा करने को चोभी कहते हैं।

नोट:- दूढाड क्षेत्र में कुओं को बेरी कहा जाता है।

नागौर का पठार

- नागौर क्षेत्र की भूमि में सतही मिट्टी पर नमक की मात्रा पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र में पाई जाने वाली झीलें अधिकांशतः खारे पानी की झीलें हैं।
- इस क्षेत्र में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, तथा हड्डियां गलने लगती हैं। इसे कुबड़ समस्या भी कहा जाता है। अतः फ्लोराइड युक्त जल पट्टी का विस्तार 'कुबड़ पट्टी' कहलाता है।
- राज्य के नागौर तथा अजमेर जिले में 'कुबड़ पट्टी' का विस्तार पाया जाता है।
- राज्य में सरिस्का के अतिरिक्त नागौर का पठार ऐसा क्षेत्र है जहाँ हरे कबूतर पाये जाते हैं। हरे कबूतर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में पाये जाते हैं।

लूनी बेसिन/गोड़वाणा प्रदेश

- लूनी नदी व इसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पाली, जौधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर व अजमेर जिले का क्षेत्र जहाँ लूनी नदी प्रवाहित होती है, लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है।
- इस क्षेत्र में बाड़मेर जिले में छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित हैं जिनका विस्तार जालौर जिले में भी है। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट पाया जाता है। इस कारण

अध्याय - 4

(अपवाह तंत्र)

नदियाँ एवं झीलें

प्रिय छात्रों इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग "राजस्थान का अपवाह तंत्र" के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है "अपवाह तंत्र"?

अपवाह तंत्र -

जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रवाह करती है तब उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र में नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती हैं।

(अ) बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ :

इस अपवाह तंत्र में निम्न प्रमुख नदियाँ शामिल होती हैं जैसे चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाण गंगा, खारी, बेडच, गंभीरी आदि। ये नदियाँ अरावली के पूर्व में बहती हैं इनमें कुछ नदियों का उद्गम स्थल अरावली का पूर्वी घाट तथा कुछ का मध्यप्रदेश का विंध्याचल पर्वत है यह सभी नदियाँ अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं।

(ब) अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ :-

इस अपवाह तंत्र में इन निम्न प्रमुख नदियाँ शामिल हैं जैसे माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी, इत्यादि। पश्चिमी बनास, लूणी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं, ये सभी नदियाँ अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती हैं।

(स) अंतः प्रवाह वाली नदियाँ -

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो कुछ दूरी तक प्रभाव में होकर राज्य में अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं तथा उनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता इसलिए इन्हें आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कहा जाता है जैसे काकनी, कांतली, साबी घग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़ इत्यादि।

राजस्थान राज्य की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं -

- राजस्थान की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र अरावली पर्वत की पूर्व में है
- राजस्थान में चंबल तथा माही के अलावा अन्य कोई नदी बारह मासी नहीं है।
- राज्य में चूरु व बीकानेर ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है।
- गंगानगर में यद्यपि पृथक से कोई नदी नहीं है लेकिन वर्षा होने पर घग्गर नदी का बाढ़ का पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक चला जाता है।
- राज्य के 60% भू-भाग पर आंतरिक जल प्रवाह का विस्तार है।
- राज्य में सबसे अधिक सतही जल चंबल नदी में उपलब्ध है।
- राज्य में बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है।
- राज्य में सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में बहती हैं
- राज्य की सबसे बड़ी नदी चंबल है।
- राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं।
- रेगिस्तान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं
- पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं।
- मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी को कहते हैं।
- बीकानेर की जीवन रेखा कंवर सेन लिफ्ट परियोजना को कहते हैं।
- राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद झील कहलाती है।
- भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है।
- गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा परियोजना है।
- जमशेदपुर की जीवन रेखा स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है इस नदी पर हुंडरु जल प्रपात स्थित है।
- आदिवासियों की या दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा माही नदी को कहा जाता है
- पूरे राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास है
- भारत सरकार द्वारा राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1955 में इस बोर्ड का नियंत्रण राजस्थान सरकार को सौंपा गया था। 1971 से इस बोर्ड को भू-जल विभाग के नाम से जाना जाता है इसका कार्यालय जोधपुर में है।
- राज्य के पूर्णता बहने वाली सबसे लंबी नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है।

- चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़) के निकट चूलिया जल प्रपात तथा मांगली नदी पर बूंदी में "भीमलत प्रपात" है।
- सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां चंबल, बनास, लूणी हैं जो कि प्रत्येक नदी 6 जिलों में बहती हैं।
- अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी एक मात्र नदी है चंबल, जो कि राजस्थान व मध्यप्रदेश की सीमा बनाती है।
- राजमहल (टोंक) नामक स्थान पर बनास, डाई और खारी नदी का त्रिवेणी संगम स्थित है यहां शिव एवं सूर्य की संयुक्त प्रतिमा स्थित है जो मार्तंड भैंस्रव मंदिर या देवनाशयण मंदिर के नाम से जाना जाता है यहां नारायण सागर बांध स्थित है।

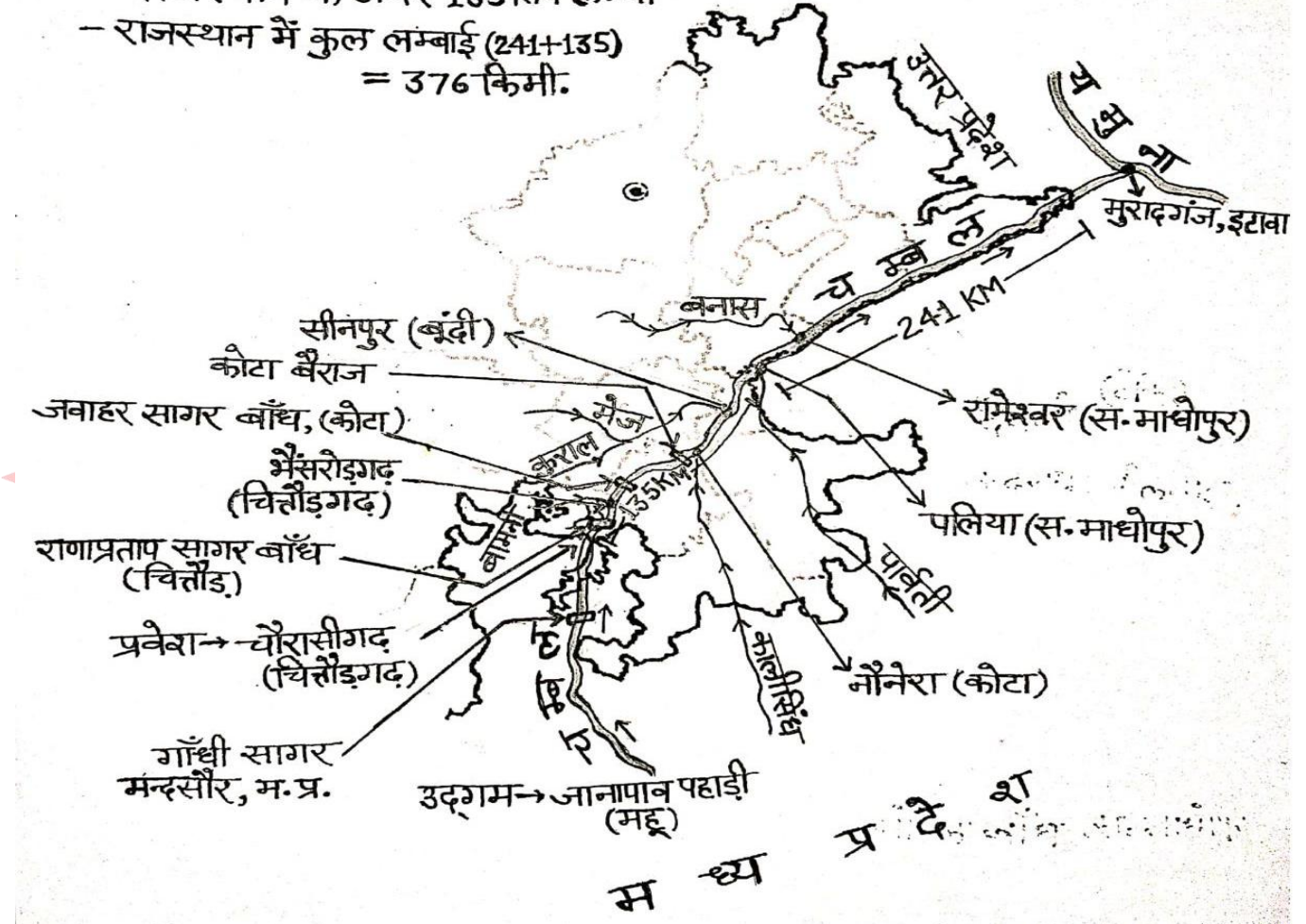
- प्रिय छात्रों अब हम प्रत्येक अपवाह तंत्र को विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे -

1. चंबल नदी

प्रिय छात्रों चंबल नदी के बारे में हम समझते हैं कि क्या है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं -

चम्बल नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ

- राजस्थान की कामधेनु
- प्राचीन नाम- चर्मण्वती
- कुल लम्बाई लगभग 965 किमी.
- राजस्थान व मध्यप्रदेश की सीमा पर 241 KM लम्बी
- राजस्थान के अन्दर 135 KM लम्बी
- राजस्थान में कुल लम्बाई (241+135)
= 376 किमी.



- चंबल नदी राजस्थान की एक मात्र ऐसी नदी है जो प्राकृतिक अंतर्राज्यीय सीमा निर्धारित करती है इस नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है इसके अन्य नाम हैं, चर्मणवती नदी, कामधेनु नदी, बारह मासी नदी, नित्य वाहिनी नदी ।
- इस नदी की कुल लंबाई 966 किलों मीटर है। यह नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तरप्रदेश अर्थात् 3 राज्यों में बहती है यह नदी मध्यप्रदेश में 335 किलों मीटर, राजस्थान में 135 किलों मीटर, उत्तरप्रदेश में 275 किलों मीटर बहती है यह नदी राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के मध्य 241 किलों मीटर की अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है।

- इस नदी का उद्गम स्थल मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर जिले हुआ । क्षेत्र के विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित 616 मीटर ऊंची "जाना पाव की पहाड़ी" से होता है मध्यप्रदेश में मंदसौर जिला में स्थित रामपुरा भानपुरा के पठारों में स्थित इस नदी का सबसे बड़ा बांध "गांधी सागर बांध" बना हुआ है।
- यह नदी राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है इस नदी पर भैंसरोडगढ़ के समीप सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जल प्रपात बना है जिसे चूलिया जल प्रपात के नाम से जानते हैं।

- चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान पर राणाप्रताप सागर बांध बना हुआ है, जो कि जल भराव की क्षमता से राज्य का सबसे बड़ा बांध है इस बांध का 113 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है।
- चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के बाद कोटा जिले में प्रवेश करती है, कोटा जिले में इस नदी पर जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध बना हुआ है कोटा बैराज बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। कोटा जिले के नानाँरा नामक स्थान पर "काली सिंध नदी" चंबल में आकर मिल जाती है यह स्थान प्राचीन काल में कपिल मुनि की तपस्या स्थली रहा था।
- कोटा तथा बूंदी जिले की सीमा निर्धारित करती हुई यह नदी बूंदी जिले में प्रवेश करती है बूंदी जिले की केशोरायपाटन नामक स्थान पर इस नदी का सर्वाधिक गहरा भाग है जो 113 मीटर की गहराई तक है बूंदी जिले से आगे चल कर यह नदी कोटा तथा सवाईमाधोपुर की सीमा निर्धारित करती है।
- सवाईमाधोपुर जिले के खंडार तहसील के रामेश्वर नामक स्थान पर बनास तथा सीप नदी चंबल में आकर मिलती है तथा यहां त्रिवेणी संगम बनाते हैं। सवाई माधोपुर जिले के पालिया नामक स्थान पर चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती इसमें आकर मिलती है। धौलपुर जिले के पीलहाट होते हुए यह नदी राजस्थान से बाहर निकलती है और उत्तरप्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है।
- अंत में यह नदी उत्तरप्रदेश राज्य के इटावा जिले के मुरादगंज कस्बे में 275 किलो मीटर बहने के बाद यमुना में मिल जाती है यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

चंबल नदी से संबंधित अन्य तथ्य -

- चंबल नदी राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 20.90% भाग में है। यह नदी "गागेयसूय" नामक स्तनपाई जीव के लिए प्रसिद्ध है।
- चंबल यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित राज्य की एकमात्र नदी है बहाव क्षमता की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल ही है।
- यह सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है इसीलिए इसे "वाटरसफारी नदी" भी कहा जाता है।
- चंबल नदी से सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कोटा जिले में होता है।

- चंबल नदी राज्य के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहती है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर प्रत्येक 100 किलो मीटर की दूरी पर 3 बड़े बांध बने हुए हैं और तीनों ही बांध से जल विद्युत उत्पादन होता है।
- चंबल नदी में घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस कारण चंबल नदी को घड़ियालों की जन्मस्थली कहा जाता है।

चंबल की सहायक नदियां -

- मध्यप्रदेश में मिलने वाली नदियां - सीवान, रेतम, शिप्रा।
- राजस्थान में मिलने वाली नदियां - आलनिया, परवण, बनास, कालीसिंध, पार्वती, बामणी, कुराल, छोटी काली सिंध आदि

चंबल नदी पर चार बांध बनाए गए हैं -

1. गांधी सागर बांध - मध्यप्रदेश की भानपुरा तहसील में
2. राणाप्रताप सागर बांध - रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)।
3. जवाहर सागर बांध - बोरा बास, कोटा
4. कोटा बैराज बांध - कोटा शहर

2. बनास नदी -

- बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से होता है पूर्णतः प्रवाह के आधार पर यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है इसकी कुल लंबाई 480 किलो मीटर है।
- इस नदी को अन्य नामों से जाना जाता है जैसे वन की आशा, वणाशा, वनआशा, वशिष्ठ नदी।
- यह नदी 6 जिलों में बहती है यह 6 जिले क्रम से हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी के क्षेत्र का प्रसार पाया जाता है।
- भीलवाड़ा जिले के बीगोद नामक कस्बे के समीप बनास, बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम स्थित है।
- टोंक जिले में देवली नामक स्थान पर बनास नदी में खारी नदी मिलती है बनास नदी टोंक जिले में सर्पाकार आकार की हो जाती है। टोंक जिले के

राजस्थान का इतिहास

अध्याय - 1

राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और

सभ्यता

कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ

राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं

1. कालीबंगा की सभ्यता -

इस सभ्यता की खोज :-

इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले एक पुरातत्ववेत्ता एवं भाषा शास्त्री लुईसपीतैसीतौरी थे। इन्होंने इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले परिचय दिया लेकिन इस सभ्यता की तरफ किसी का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं था इसलिए इसकी खोज नहीं हो पाई।

इस सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। उन्होंने 1952 में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की थी।

इनके बाद में इस सभ्यता की खोज दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी की गई थी जो 1961 से 1969 तक चली थी।

1. बृजवासीलाल

2. बीके (बालकृष्ण) थापर इन्हीं दोनों ने इस सभ्यता की विस्तृत रूप से खोज की थी

यह सभ्यता की विशेषताएं -

इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं इसलिए यहां पर मकान बनाने की पद्धति को "ऑक्सफोर्ड पद्धति" कहते हैं। इसी पद्धति को जाल पद्धति, ग्रीक, चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जानते हैं।

मकान कच्ची एवं पक्की ईंट के बने हुए थे, आरम्भ यह कच्ची ईंटें थीं इसलिए इस सभ्यता को दीन हीन सभ्यता भी कहते हैं इन ईंटों का आकार 30 x 15 x 7.5 हैं।

इन मकानों की खिड़की एवं दरवाजे पीछे की ओर होते थे

यहां पर जो नालियां बनी हुई थी वह लकड़ी (काष्ठ) की बनी होती थी। आगे चलकर इन्हीं नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था (विश्व में एकमात्र

ऐसा स्थान जहां लकड़ियों की बनी नालियां मिली हैं वह कालीबंगा स्थल हैं)

विश्व की प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण इसी सभ्यता से मिलते हैं।

यहां पर मिले हुए मकानों के अंदर की दीवारों में दरारें मिलती हैं इसलिए माना जाता है कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं।

यहां के लोग एक साथ में दो फसलें करते थे अर्थात् फसलों के होने के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं जो और गेहूं।

यहां पर उत्खनन के दौरान यज्ञकुंड / अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुए हैं यहां के लोग बलिप्रथा में भी विश्वास रखते थे।

इस सभ्यता का पालतू जानवर कुत्ता था । यह सभ्यता के लोग ऊंट से भी परिचित थे । इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा से भी परिचित थे।

विश्व में प्राचीनतम नगर के प्रमाण यहीं पर मिले हैं, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं यहां पर मूर्तिपूजा, देवी / देवता के पूजन, चित्रांकन या मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

यहां पर समाधि प्रथा का प्रचलन था। यह समाधि तीन प्रकार की मिलती हैं अर्थात् तीन प्रकार से मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था

- अंडाकार गड्ढे खोद कर व्यक्ति को दफनाना । इस गड्ढे में व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर पैर दक्षिण की ओर होते थे
- अंडाकार गड्ढे खोदकर व्यक्ति को तोड़मरोड़ कर इकट्ठा करके दफनाना
- एक खड्डा खोदकर व्यक्ति के साथ आभूषण को दफनाना ।

स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण इसी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग यहां के लोग वास्तुदोष को दूर करने के लिए किया करते थे ।

कालीबंगा की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समानता के प्रमाण बेलनाकार बर्तन मिलते हैं।

यहां पर एक कपाल मिलता है जिसमें छः प्रकार के छेद थे। जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहां के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे अर्थात् शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण इसी सभ्यता से मिलते हैं।

यहाँ पर एक सिक्का प्राप्त होता है जिस के एक ओर स्त्री का चित्र है तथा दूसरी ओर चीता का चित्र बना हुआ है अर्थात् अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर परिवार की मातृसत्तात्मक प्रणाली का प्रचलन था।

कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है।

कालीबंगा सभ्यता में इस सभ्यता में पुरोहित का प्रमुख स्थान होता था।

इस सभ्यता के लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे, इसका प्रमाण सामूहिक तंदूर से मिलता है क्योंकि तंदूर मध्य एशिया से सम्बंधित है।

इस सभ्यता के भवनों का फर्श सजावट एवं अलंकृत के रूप में मिलता है।

आहड़ सभ्यता :-

इस सभ्यता का विकास राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित आहड़ नामक स्थान पर हुआ अर्थात् इस सभ्यता का सर्वप्रथम प्रमाण आहड़ नामक स्थान पर हुए उत्खनन से प्राप्त हुए थे।

यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई आयड़ नदी उदयपुर की उदयसागर झील से इस नाम से जानी जाती है। चित्तौड़गढ़ नगर बेडच नदी के किनारे बसा है जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेडच नदी और गंभीरी नदी के किनारे बसा है। बेडच नदी बनास नदी की सहायक नदी है इसलिए कहा जाता है कि यह नदी यह सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित हुई।

इस सभ्यता से मिले हुए प्रमाणों के आधार पर इसे दो कालों में बांटा गया है -

1. ताम्रकालीन सभ्यता 2. लोहयुगीन सभ्यता

यहाँ पर तांबे के और लोहे के अवशेष मिले हैं।

इस सभ्यता के प्राचीन नाम :-

1. ताम्रवती नगरी - इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग तांबे से संबंधित था इसलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं

2. आघाटपुर - क्योंकि यहाँ पर एक दुर्ग मिला है जिसे आघाट दुर्ग के नाम से जानते हैं।

3. आघाट दुर्ग

उपनाम :-

पुणे विश्व विद्यालय के पूर्व प्रोफेसर धीरज लाल सांकलिया ने इसे आहड़ सभ्यता का नाम दिया। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का उत्खनन धीरज लाल सांकलिया के द्वारा भी किया गया था।

धीरज लाल सांकलिया को खुदाई के दौरान यहाँ से एक 40 फीट का गहरा गड्ढा मिला था जो इस बात का प्रमाण है कि इस सभ्यता का 8 बार विकास हुआ और 8 बार पनपी थी। इसलिए इस सभ्यता को मृतकों के टीले की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं।

नोट :- यहाँ से मिले प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी अर्थात् या नगरीय सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले हैं जबकि कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।

इस सभ्यता का उत्खनन कार्य -

इस सभ्यता का उत्खनन कार्य निम्न चार लोगों ने किया -

1. पंडित अक्षय कीर्तिव्यास

2. रतनचंद्र अग्रवाल आरसी अग्रवाल

3. बीएन मिश्रा एवं सांकलिया

4. विजय कुमार एवं पीसी. चक्रवर्ती

इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया।

रतनचंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता का व्यापक रूप से अध्ययन किया। यहाँ पर मिले एक बड़े टीले का उन्होंने अध्ययन किया जिसे धूलकोट का टीला कहा जाता है।

पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धीरज लाल सांकलिया एवं बीएन मिश्रा को भारत सरकार ने इस स्थल का उत्खनन कार्य करने के लिए सन् 1961-62 में नियुक्त किया।

राजस्थान सरकार की ओर से इस सभ्यता का उत्खनन कार्य करने के लिए विजय कुमार एवं पीसी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया था।

इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं -

इस सभ्यता का उत्खनन कार्य तीन स्तरों में किया गया।

पहले स्तर के उत्खनन कार्य में स्फटिक पत्थर की अधिकता सबसे ज्यादा मिली है। इन पत्थरों का

महाराणा बनाया गया। फ़तहसिंह कुटनीतिज्ञ, साहसी स्वाभिमानी और दूरदर्शी थे। संत प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। इनके कार्यकाल में ही किंग जार्ज पंचम ने दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करके दिल्ली दरबार लगाया। महाराणा दरबार में नहीं गए।

महाराणा भूपाल सिंह (1430 - 1455 ई०)

इनके समय में भारत को स्वतन्त्रता मिली और भारत या पाक मिलने की स्वतंत्रता। भोपाल के नवाब और जौधपुर के महाराज हनुवंत सिंह पाक में मिलना चाहते थे और मेवाड़ को भी उसमें मिलाना चाहते थे। इस पर उन्होंने कहा कि मेवाड़ भारत के साथ था और अब भी वहीं रहेगा। यह कह कर वे इतिहास में अमर हो गये। स्वतंत्र भारत के वृहद राजस्थान संघ के भूपाल सिंह प्रमुख बनाये गये। महाराणा भोपाल सिंह जी ने भोपालसागर बनाया और वहाँ एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया।

महाराणा भगवत सिंह (1455 - 1484 ई०)

महाराणा महेन्द्र सिंह (1484 ई०)

इस तरह 556 ई० में जिस गुहिल वंश की स्थापना हुई बाद में वही सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। जिसमें कई प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने इस वंश की मानमर्यादा, इज्जत और सम्मान को न केवल बढ़ाया बल्कि इतिहास के गौरवशाली अध्याय में अपना नाम जोड़ा। आज राजस्थान का इतिहास इन्हीं वीरों की शहादत का पर्याय बन गया है।

रणथम्भौर और दिल्ली सल्तनत

- हम्मीर चौहान (1282-1301 ई.) अपने पिता जैत्रसिंह का तीसरा पुत्र था। सभी पुत्रों में योग्य होने के कारण उसका राज्यारोहण उत्सव जैत्रसिंह ने अपने जीवनकाल में ही 1282 ई. में सम्पन्न करवा दिया था।
- वह रणथम्भौर के चौहान शासकों में अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और उसके शासनकाल की जानकारी अनेकानेक ऐतिहासिक साधनों से प्राप्त होती है। मुस्लिम इतिहासकारों, अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन बरनी की रचनाओं के अलावा न्यायचंद्र सूरी के हम्मीर महाकाव्य, चंद्रशेखर के सुर्जन चरित्र और बाद में लिखे गये हिन्दी ग्रन्थों - जोधराजकृत हम्मीर रासो तथा

चंद्रशेखर के हम्मीर हठ में हमें हम्मीर की शूरवीरता तथा विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है।

- दिग्विजय के बाद हम्मीर ने कोटि यज्ञों का आयोजन किया जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।
- मेवाड़ के शासक समरसिंह को पराजित कर हम्मीर ने अपनी धाक सम्पूर्ण राजस्थान में जमा दी।

हम्मीर और जलालुद्दीन खिलजी-

- हम्मीर को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका इसलिए मिल गया कि इस दौरान दिल्ली में कमजोर सुल्तानों के कारण अव्यवस्था का दौर चल रहा था।
- 1290 ई. में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। सुल्तान ने झाँझ पर अधिकार कर रणथम्भौर को घेर लिया किन्तु सभी प्रयत्नों की असफलता के बाद शाही सेना को दिल्ली लौट जाना पड़ा।

- सुल्तान ने 1292 ई. में एक बार फिर रणथम्भौर विजय का प्रयास किया। हम्मीर के सफल प्रतिरोध के कारण इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी।

- जलालुद्दीन ने यह कहते हुए दुर्ग का घेरा हटा लिया कि “मैं ऐसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्त्व नहीं देता।”

- जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इन अभियानों का आँखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने ‘मिफ्ता-उल-फुतूह’ नामक ग्रंथ में किया है।

हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी -

- 1296 ई. में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया।

अलाउद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर पर आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिये जिनके निम्नलिखित कारण थे -

1. रणथम्भौर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी इस अभेद दुर्ग पर अधिकार कर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था।
2. रणथम्भौर दिल्ली के काफी निकट था। इस कारण यहाँ के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को अलाउद्दीन खिलजी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता था।
3. अलाउद्दीन खिलजी से पहले उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करने

के लिए दो बार प्रयास किए थे किन्तु वह असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था।

4. अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। रणथम्भौर पर आक्रमण इसी नीति का परिणाम था।

हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना -

- नयनचन्द्र सूरी की रचना 'हम्मीर महाकाव्य' के अनुसार रणथम्भौर पर आक्रमण का कारण यहाँ के शासक हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मुहम्मद शाह को शरण देना था।
- मुस्लिम इतिहासकार इसामी ने भी अपने विवरण में इसी कारण की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों उलूग खां व नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था।
- गुजरात विजय के बाद जब यह सेना वापिस लौट रही थी तो जालौर के पास लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर 'नव-मुसलमानों' (जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय भारत में बस चुके वे मंगोल, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था) ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि विद्रोहियों का बर्बरता के साथ दमन कर दिया गया किन्तु उनमें से मुहम्मदशाह व उसका भाई कैहलू भाग कर रणथम्भौर के शासक हम्मीर के पास पहुँचने में सफल हो गया।
- हम्मीर ने न केवल उन्हें शरण दी अपितु मुहम्मदशाह को 'जगाना' की जागीर भी दी। चन्द्रशेखर की रचना 'हम्मीर हठ' के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम से मीर मुहम्मदशाह को प्रेम हो गया था और उन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा।

अलाउद्दीन का चितोड़ पर आक्रमण

- अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इन विद्रोहियों को सौंप देने की माँग की गई। इस माँग को जब हम्मीर द्वारा ठुकरा दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथम्भौर पर आक्रमण कर दिया।
- 1299 ई. के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथम्भौर पर अधिकार करने के लिए भेजी। इस सेना ने 'रणथम्भौर की कुँजी' झाँई पर अधिकार कर लिया। इसामी के अनुसार विजय के

बाद उलूग खां ने झाँई का नाम बदलकर 'नौ शहर' कर दिया।

- 'हम्मीर महाकाव्य' में लिखा है कि हम्मीर इस समय कोटियज्ञ समाप्त कर 'मुनिव्रत' में व्यस्त था। इस कारण स्वयं न जाकर अपने दो सेनापतियों - भीमसिंह व धर्मसिंह को सामना करने के लिए भेजा। इन दोनों सेनापतियों ने सेना को पीछे की तरफ खदेड़ दिया तथा उनसे लूट का माल छिन लिया।
- राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर भयंकर हमला किया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। शाही सेना से लूटी गई सामग्री लेकर धर्मसिंह के नेतृत्व में सेना का एक दल तो रणथम्भौर लौट गया किन्तु भीमसिंह पीछे रह गया। इस अवसर का लाभ उठाकर बिखरी हुई शाही सेना ने अलपखां के नेतृत्व में उस पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में भीमसिंह अपने सैनिकों सहित मारा गया। भीमसिंह की मृत्यु के लिए हम्मीर ने धर्मसिंह को उत्तरदायी मानते हुए उसे अंधा कर दिया और उसके स्थान पर भोजराज को नया मंत्री बनाया।
- झाँई विजय के बाद उलूग खां ने मेहलनसी नामक दूत के साथ हम्मीर के पास अलाउद्दीन खिलजी का संदेश पुनः भिजवाया। इस संदेश में दोनों विद्रोहियों - मुहम्मदशाह व उसके भाई कैहलू को सौंपने के साथ हम्मीर की बेटी देवलदी का विवाह सुल्तान के साथ करने की माँग की गई थी। यद्यपि देवलदी ने राज्य की रक्षा के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने की सुझाव दिया किन्तु हम्मीर ने संघर्ष का रास्ता चुना।
- उलूग खां ने रणथम्भौर दुर्ग पर घेरा डालकर उसके चारों तरफ पाशिब व गरगच बनवाये और मगरबों द्वारा दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बाँछार की। दुर्ग में भी भैरव यंत्र, ठिकुलिया व मर्कटी यंत्र नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्र लगे थे जिनके द्वारा फेंका गया एक पत्थर संयोग से नुसरत खां को लगा। **नुसरतखां** इसमें घायल हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई।
- हम्मीर ने इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए दुर्ग से बाहर निकलकर शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर उलूग खां को झाँई की तरफ पीछे हटना पड़ा। उलूग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथम्भौर पहुँचा।

- अमीर खुसरो ने अपनी रचना 'खजाईन-उल-फुतूह' में इस अभियान का आखों देखा वर्णन करते हुए लिखा है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पार्श्व, मगरबी व अर्रादा की सहायता ली।
- काफी प्रयासों के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीतने में असफल रहा तो उसने छल और कूटनीति का आश्रय लेते हुए हम्मीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा।
- हम्मीर द्वारा संधि के लिए अपने सेनापति रतिपाल को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल व उसकी सहायता से हम्मीर के एक अन्य सेनापति रणमल को रणथम्भौर दुर्ग का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया।
- अलाउद्दीन ने हम्मीर के एक अधिकारी को अपनी तरफ मिलाकर दुर्ग में स्थित खाद्य सामग्री को दूषित करवा दिया। इससे दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री का भयंकर संकट पैदा हो गया।
- अमीर खुसरो ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि "सोने के दो दानों के बदले में चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था।"
- खाद्यान्न के अभाव में हम्मीर को दुर्ग के बाहर निकलना पड़ा किन्तु रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण उसे पराजय का मुँह देखना पड़ा।
- युद्ध के दौरान हम्मीर लड़ता हुआ मारा गया और उसकी रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत वीरगणों द्वारा जौहर किया गया। और यह रणथम्भौर का प्रथम साका कहा जाता है।
- जोधराज की रचना 'हम्मीर रासो' के अनुसार इस जौहर में मुहम्मदशाह की स्त्रियाँ भी रंगदेवी के साथ चित्ता में भस्म हो गईं।
- कुछ स्थानों पर उल्लेख है कि रंगदेवी ने किले में स्थित 'पदमला तालाब' में जल जौहर किया था।
- इस दौरान हम्मीर की पुत्री **देवल देवी** ने भी जौहर किया। "**देवलदो रो आत्मसर्ग**" की घटना इसी से जुड़ी हुई है।
- हम्मीर शिव का उपासक था जिसे अपनी हठधर्मिता के लिये जाना जाता है। हम्मीर के लिये कहा जाता है कि "**तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार**"।
- रणथम्भौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाने के उपरान्त अमीर खुसरो ने

लिखा है कि "**कुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है**"।

- 11 जुलाई, 1301 ई. को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मीर मुहम्मदशाह भी हम्मीर की तरफ से संघर्ष करते हुए घायल हुआ।
- अलाउद्दीन खिलजी काफी क्रोधित हुआ और उसने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर मुहम्मदशाह की हत्या करवा दी।

हम्मीर का मूल्यांकन -

- हम्मीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े जिनमें से 16 में वह विजयी रहा। बार-बार के प्रयासों के बाद भी जलालुद्दीन खिलजी का रणथम्भौर पर अधिकार नहीं कर पाना हम्मीर की शूरवीरता व सैनिक योग्यता का स्पष्ट प्रमाण है।
- वह वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक उदार शासक भी था।
- विद्वानों के प्रति हम्मीर की बड़ी श्रद्धा थी। विजयादित्य उसका सम्मानित दरबारी कवि तथा राघवदेव उसका गुरु था।
- हम्मीर अपने वचन व शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपनी शरण में आए अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को न लौटाने का हठ कर लिया।
- नयनचन्द्र सूरी की रचना हम्मीर महाकाव्य, व्यास भाण्ड रचित हम्मीरायण, जोधराज रचित हम्मीर रासो, अमृत कैलाश रचित 'हम्मीर बन्धन' और चन्द्रशेखर द्वारा रचित 'हम्मीर हठ' नामक ग्रंथों की रचना इसी हम्मीर को नायक बनाकर की गई है।
- सन् 1290 में खिलजी वंश के संस्थापक **जलालुद्दीन खिलजी** ने रणथम्भौर दुर्ग पर आक्रमण किया। इस दौरान हम्मीर का सेनापति **गुरुदास सैनी** मारा गया।
- जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर दुर्ग के पास स्थित **झाइन दुर्ग** पर अधिकार कर लिया जिसे वर्तमान में **छान या छाण** कहा जाता है।
- इस विजय से उत्साहित होकर जलालुद्दीन ने रणथम्भौर दुर्ग का घेरा डाला लेकिन दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा। अन्त में 1291 में दिल्ली लौट आया।
- **नोट :-** जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर दुर्ग के बारे में कहा था "ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता"।

- पृथ्वीराज चौहान के पुत्र **गोविन्दराज** ने रणथम्भौर के चौहान वंश की नींव रखी।
- **मोहम्मद गौरी** ने अपने दास **कुतुबुद्दीन ऐबक** को रणथम्भौर का प्रशासक नियुक्त किया।
- गोविन्दराज का पुत्र **बल्लहण** भी दिल्ली सल्तनत को उचित रूप से कर भेजता रहा। अतः इस समय तक रणथम्भौर शासकों के दिल्ली सल्तनत के साथ अच्छे सम्बन्ध रहे।
- सन् 1226 में **इल्तुतमिश** ने रणथम्भौर पर असफल आक्रमण किया।
- सन् 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र **रकुनूद्दीन फिरोज** उत्तराधिकारी हुआ जो कि अयोग्य एवं दुर्बल शासक था।
- रणथम्भौर दुर्ग में **बाघ भट्ट** ने इस दुर्ग का घेरा डाला। इल्तुतमिश की पुत्री **रजिया बेगम** ने **हसन गौरी** को रणथम्भौर दुर्ग के विरुद्ध भेजा।
- सन् 1248 में **नासिरुद्दीन महमूद** के प्रधानमंत्री **बलबन** ने इस दुर्ग पर असफल आक्रमण किया। इस दौरान **तुर्क** सेनापति **बहाउद्दीन** मारा गया। सन् 1253-54 में बलबन ने पुनः इस दुर्ग पर आक्रमण किया।
- **श्रेणी-** रणथम्भौर दुर्ग दुर्गों की गिरि श्रेणी, वन श्रेणी तथा ऐरण श्रेणी तीनों श्रेणियों में आता है।
- **स्थान-** रणथम्भौर दुर्ग राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले की थंभौर पहाड़ी पर स्थित है।
- **प्राचीन नाम (वास्तविक नाम)-** रणथम्भौर दुर्ग का प्राचीन नाम या वास्तविक नाम रणस्तम्भपुर (रन्तपुर) है जिसका अर्थ है रण की घाटी में स्थित नगर।
- **उपनाम या अन्य नाम-** रणथम्भौर दुर्ग का उपनाम या अन्य नाम दुर्गा धिराज है।
- **हम्मीर कचहरी-** हम्मीर कचहरी राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले के रणथम्भौर दुर्ग में स्थित है।
- **रानीहाड़ तालाब-** रानीहाड़ तालाब राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले के रणथम्भौर दुर्ग में स्थित है।
- **कुत्ते की छतरी-** कुत्ते की छतरी राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के रणथम्भौर दुर्ग में स्थित है। यह कुत्ते की छतरी राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी है।
- **प्रवेश द्वार-** रणथम्भौर दुर्ग के मुख्य दरवाजे या प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है।

• जालौर और दिल्ली सल्तनत

जालौर के चौहान वंश का संस्थापक नाडोल (पाली) के चौहान शाखा के अल्हण का पुत्र कीर्तिपाल था। जिसने 1181 में परमारों को पराजित करके जालौर के चौहान वंश की नींव रखी। कीर्तिपाल को कीतू भी कहा जाता है।

कीर्तिपाल के बाद समर सिंह जालौर का शासक बना। समर सिंह इस समय दिल्ली सल्तनत के आक्रमण से बचा रहा।

सन् 1205 में समर सिंह का पुत्र उदय सिंह शासक बना। उदय सिंह के काल में 1228 में इल्तुतमिश ने जालौर पर असफल आक्रमण किया।

सन् 1254 में नासिरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री बलबन ने जालौर पर आक्रमण किया।

सन् 1257 में उदय सिंह का पुत्र चाचिगदेव शासक बना। चाचिगदेव दिल्ली सल्तनत के नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन के समकालीन था। चाचिगदेव इनके आक्रमण से बचा रहा।

चाचिगदेव के पश्चात 1282 में इसका पुत्र सामन्त सिंह चौहान वंश का अगला उत्तराधिकारी हुआ। सामन्त सिंह के काल में अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जालौर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। सामन्त सिंह ने परस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपने जीते जी अपने पुत्र कान्हडदेव को शासन सुर्पद कर दिया।

कान्हडदेव और अल्लाउद्दीन खिलजी

सन् 1299 में जब अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां से लूटे हुए धन के बँटवारे को लेकर जालौर की सीमा में मंगोल सैनिक व अल्लाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलगू खाँ के मध्य विवाद हो गया ऐसे समय में कान्हडदेव ने अल्लाउद्दीन खिलजी की सेनाओं पर आक्रमण करके लूट का कुछ भाग हथिया लिया।

ऐसा भी माना जाता है कि कान्हडदेव ने गुजरात के सोमनाथ मन्दिर से लाये हुए मूर्ति के टुकड़ों को अल्लाउद्दीन खिलजी के सैनिकों से छिन कर मारवाड़ में स्थापित करवाया।

अल्लाउद्दीन खिलजी ने कान्हडदेव से मिली पराजय का बदला लेने हेतु 1305 में एन-उल-मूलक-मूलतानी के नेतृत्व में सेनाएं भेजी मूलतानी के समझाने पर कान्हडदेव ने अल्लाउद्दीन खिलजी की

अध्याय - 6

प्रजामंडल आंदोलन

- 1927 ई. में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की स्थापना के साथ ही सक्रिय राजनीति का काल आरम्भ हुआ।
- कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के बाद इसकी शाखायें स्थापित की जाने लगी।
- 1931 ई. में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद् का प्रथम प्रान्तीय अधिवेशन आयोजित किया।

- 1938 ई. में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर देशी रियासतों के लोगों द्वारा चलाये जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन दिया।
- कांग्रेस के इस प्रस्ताव से देशी रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला। इन राज्यों में चल रहे आन्दोलन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ गये और राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसने देशी शासकों के अधीन उत्तरदायी प्रशासन की मांग की।

क्र. सं.	प्रजामंडल नाम	स्थापना वर्ष	गठनकर्ता	अध्यक्षता	प्रमुख नेता/ कार्य/सहयोगी	उद्देश्य
----------	---------------	--------------	----------	-----------	---------------------------	----------

1.	जयपुर प्रजामंडल	1931	जमनालाल बजाज	कपूर चन्द्र पाटनी	हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज	
----	-----------------	------	--------------	-------------------	--------------------------------	--

1936

हीरालाल शास्त्री, बाबू हरिश्चन्द्र, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी, हंस डी. राय. पूर्णनिन्द जोशी

2.	बूँदी प्रजामंडल	1931	कांतिलाल	कांतिलाल	नित्यानन्द सागर, गोपाललाल कोटिया, गोपाललाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चन्द्र	
----	-----------------	------	----------	----------	---	--

बूँदी राज्य परिषद्	1937	ऋषिदत्त मेहता	चिरंजीलाल मिश्र	बृज सुन्दर शर्मा
--------------------	------	---------------	-----------------	------------------

3.	हाड़ौती प्रजामंडल	1934	पं. नयनूराम शर्मा	हरिमोहन माथुर	प्रभुलाल शर्मा, पं. अभिन्न हरि
----	-------------------	------	-------------------	---------------	--------------------------------

4.	मारवाड़ (जोधपुर) प्रजामंडल	1934	जयनारायण व्यास	मोहम्मद	आनन्दराज सुराणा, मथुरादास माथुर, रणछोड़दास गढ़ानी, इन्द्रमल जैन, कन्हैयालाल मणिहार, चांदकरण शारदा, छगनलाल चौपसनीवाल, अभयमल मेहता
----	-----------------------------	------	----------------	---------	--

5. सिरोही प्रजामण्डल 1934 वृद्धिकर भंवरलाल रामेश्वर दयाल, समर्थमल, (बम्बई) त्रिवेदी सराफ भीमशंकर
- सिरोही प्रजामण्डल 1939 गोकुल भाई. गोकुल भाई. धर्मचन्द्र सुराणा, रामेश्वरदयाल, रूपराज, जीवनमल, घासीलाल चौधरी, पूनमचन्द
6. बीकानेर राज्य 1936 मछाराम वैद्य मछाराम वैद्य लक्ष्मणदास स्वामी एवं अन्य प्रजामण्डल (कलकत्ता) राजस्थानी प्रवासी
- बीकानेर प्रजामण्डल 1936 मछाराम वैद्य मछाराम वैद्य लक्ष्मणदास स्वामी, रघुवरदयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद, गंगाराम कौशिक
- बीकानेर राज्य 1942 रघुवरदयाल रघुवरदयाल लक्ष्मणदास स्वामी, गोयल गोयल रघुवरदयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद, गंगाराम कौशिक
7. कोटा प्रजामण्डल 1939 पं. नयनूराम पं. नयनूराम पं. अभिन्न हरि, तनसुखलाल शर्मा शर्मा मित्रल, शंभूदयाल सक्सेना, बेनी माधव प्रसाद
8. मारवाड़ लोक 1938 जयनारायण रणछोड़दास आनन्दराज सुराणा और व्यास भंवरलाल
9. मेवाड़ प्रजामण्डल 1938 माणिक्यलाल बलवंत सिंह माणिक्य लाल वर्मा, भूरलाल वर्मा मेहता बयां, भवानी शंकर वैद्य, जमनालाल वैद्य. परसराम, दयाशंकर श्रोत्रिय
10. अलवर प्रजामण्डल 1938 पं. हरि पं. हरि कुंजबिहारी मोदी, नारायण शर्मा नारायण शर्मा लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, इन्द्रसिंह आजाद, नथू राम मोदी, मंगलसिंह
11. भरतपुर प्रजामण्डल 1938 किशनलाल गोपीलाल रेवती शरण शर्मा, मा. जोशी यादव आदित्येन्द्र, ठा. देशराज, मोतीलाल यादव, लच्छीराम, मुहम्मद अली, कुंज बिहारी मोदी, रमेश स्वामी, जुगल किशोर चतुर्वेदी

- | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------|------------------------|---------------------|---|
| 12. | शाहपुरा प्रजामण्डल | 1938 | रमेशचन्द्र ओझा | रमेशचन्द्र ओझा | लादूराम व्यास, अभयसिंह, गोकुललाल असावा, लक्ष्मीकांत कोटिया, अभयसिंह डांगी |
| 13. | धौलपुर प्रजामण्डल | 1938 | ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु | कृष्ण दत्त पालीवाल | जौहरी लाल इन्दु, मूलचन्द, केशवदेव, केदारनाथ |
| 14. | करौली प्रजामण्डल | 1938 | त्रिलोकचन्द्र माथुर | त्रिलोकचन्द्र माथुर | चिरंजीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह |
| 15. | किशनगढ़ | 1939 | कांतिलाल चौथानी | कांतिलाल चौथानी | जमालशाह |
| 16. | जैसलमेर राज्य प्रज्ञा परिषद (जौधपुर) | 1939 | शिव शंकर गोपा | शिव शंकर गोपा | मदनलाल पुरोहित, ललिषद जोशी, जीवनलाल कोठारी, जीतूमल तथा मोहनलाल |
| | जैसलमेर राज्य प्रजामण्डल | 1945 | मीठालाल व्यास | मीठालाल व्यास | मीठालाल व्यास एवं अन्य साथी |
| 17. | कुशलगढ़ प्रजामण्डल | 1942 | भंवरलाल निगम | कन्हैयालाल सेठिया | पन्नालाल त्रिदेवी एवं अन्य साथी |
| 18. | इंगरपुर प्रजामण्डल | 1944 | भोगीलाल पण्ड्या | भोगीलाल पण्ड्या | शिवलाल कोटडिया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय |
| 19. | बूँदी राज्य लोक परिषद | 1944 | मेहता | हरिमोहन माथुर | नित्यानन्द नागर, गोपाल कोटिया, गोपाललाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनमचन्द |
| 20. | बाँसवाड़ा प्रजामण्डल | 1945 | भूपेन्द्र त्रिवेदी | भूपेन्द्र त्रिवेदी | धूलजी भाई., मणिशंकर, चिमनलाल, मोतीलाल, लक्ष्मणदास |
| 21. | प्रतापगढ़ प्रजामण्डल | 1945 | अमृतलाल पायक | अमृतलाल पायक | चुन्नीलाल प्रभाकर एवं अन्य साथी |
| 22. | झालावाड़ प्रजामण्डल | 1946 | मांगीलाल | मांगीलाल | कन्हैया लाल मित्तल, मकबूल आलम और तनसुखलाल, रामनिवास शर्मा मदनगोपाल, रतनलाल, |

होता था। इसके संस्थापक जयनारायण व्यास थे।

राज्य की सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं

संस्था का नाम	स्थापना	स्थान	संस्थापक
देश हितैषणी सभा	1877	उदयपुर	महाराणा सज्जनसिंह (अध्यक्ष)
परोपकारी सभा	1883	उदयपुर	महाराणा सज्जनसिंह (अध्यक्ष)
राजपुत्र हितकारिणी सभा	1888	अजमेर	ए. जी. जी. कर्नल वाल्टर
सर्वहितकारिणी सभा	1907	चूरू	स्वामी गोपालदास
मित्र-मण्डल		बिजौलिया	साधु सीताराम दास
वीर भारत सभा	1910		केसरीसिंह बारहठ
विद्या प्रचारिणी सभा		बिजौलिया	साधु सीताराम दास
प्रताप सभा	1915	उदयपुर	
हिन्दी साहित्य समिति	1912	भरतपुर	जगन्नाथ दास
प्रजा प्रतिनिधि सभा	1918	कोटा	पं. नयनूराम शर्मा
मस्थर मित्र हितकारिणी सभा	1918	जोधपुर	चांदमल सुराणा
राजपुताना मध्य भारत सभा	1918	दिल्ली	अध्यक्ष- जमनालाल बजाज

राजस्थान सेवा संघ	1919	वर्धा	विजयसिंह पथिक
मारवाड़ सेवा संघ	1920	जोधपुर	जयनारायण व्यास, अध्यक्ष दुर्गाशंकर
अमर सेवा समिति	1922	चिड़ावा	मा. प्यारेलाल गुप्ता
मारवाड़ हितकारिणी सभा	1923	जोधपुर	जयनारायण व्यास
चरखा संघ	1927	जयपुर	जमनालाल बजाज
राजपूताना देशी राज्य परिषद्	1928	अजमेर	विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी
जीवन कुटीर	1929	वनस्थली	हीरालाल शास्त्री
मारवाड़ यूथ लीग	1929	जोधपुर	जयनारायण व्यास
राजस्थान हरिजन सेवा संघ	1932	अजमेर	अध्यक्ष हरविलास शारदा
खांडलाई. आश्रम	1934	डूंगरपुर	माणिक्यलाल वर्मा
नागरी प्रचारिणी सभा	1934	धौलपुर	ज्वाला प्रसाद जिज्ञासू, जोहरीलाल इन्द्र
महिला मण्डल	1935	उदयपुर	दयाशंकर श्रोत्रिय
मारवाड़ लोक परिषद्	1938		रणछोड़दास गढ़ानी (अध्यक्ष)

अध्याय - 5

मेले और त्योहार

राजस्थान के प्रमुख मेले

अजमेर के मेले

- **पुष्कर मेला** - यह मेला पुष्कर (अजमेर) में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला/सबसे बड़ा रंगीन/रंग बिरंगा / सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन वाला मेला है। ख्वाजा साहब का उर्स - यह उर्स अजमेर में रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक भरता है। अढ़ाई दिन के झोपड़े में।
- **कल्पवृक्ष मेला** - यह मेला मांगलियावास (अजमेर) में श्रावण मास की हरयाली अमावस्या को भरता है।
- **कार्तिक पशु मेला** - यह पशु मेला पुष्कर (अजमेर) में कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष 2 तक भरता है।

अलवर के मेले

- **चंद्र प्रभु मेला** - यह मेला तिजारा, अलवर में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी व श्रावण शुक्ल दशमी को भरता है।
- **नारायणी माता का मेला** - यह मेला बरवा डूंगरी सरिस्का (अलवर) में वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है।

हनुमानजी का मेला - यह मेला पांडुपल (अलवर) में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी एवं पंचमी को भरता है।

- **भृतरि मेला** - यह मेला भृतरि (महान योगी भृतरि की तपो भूमि) पर अलवर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। यह कनफटे नाथों की तीर्थस्थली है।
- **बिलारी माता मेला** - बिलारी माता का यह मेला बिलारी (अलवर) में चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है।

बाड़मेर के मेले

- **रणछोड़राय का मेला** - यह मेला बाड़मेर जिले के खेड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष राधाष्टमी, माघ पूर्णिमा, बैशाख एवं श्रावण मास की पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा भादवा सुदी चतुर्दशी को भरता है।

मल्लीनाथ पशु मेला - यह मेला बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा क्षेत्र में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है।

हल्देश्वर महादेव शिवरात्रि मेला - यह मेला बाड़मेर जिले के पीपलूद (छप्पन की पहाड़ियों के बीच यह मारवाड़ का लघु माउन्ट आबू है।) में शिवरात्रि के अवसर पर भरता है।

रानी भटियाणी का मेला - यह मेला बाड़मेर जिले के जसोल क्षेत्र में कार्तिक वदी पंचमी को भरता है।

नाकोड़ाजी का मेला - यह मेला बाड़मेर जिले के नाकोड़ा तीर्थ मेवानगर में पोष कृष्ण दशमी को भरता है।

बजरंग पशु मेला - यह मेला बाड़मेर जिले के सिणधरी क्षेत्र में मंगसर वदी तृतीया को भरता है।

बीकानेर जिले के मेले

निर्जला ग्यारस मेला - यह मेला बीकानेर जिले के लक्ष्मीनाथ मंदिर में ज्येष्ठ सुदी एकादशी को भरता है।

जम्भेश्वर मेला - यह मेला बीकानेर जिले के मुकाम-तालवा (नोखा) में वर्ष में दो बार - फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को भरता है।

नागणेची माता का मेला - यह मेला बीकानेर जिले में नवरात्रा के अवसर पर भरता है।

चनणी चैरी मेला (सेवकों का मेला) - यह मेला बीकानेर जिले के देशनोक में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भरता है।

कपिल मुनि का मेला - यह मेला बीकानेर जिले के श्री कोलायत जी में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।

करणी माता का मेला - यह मेला देशनोक (बीकानेर) में नवरात्रा (कार्तिक एवं चैत्र माह में) में भरता है।

बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मेले

घोटिया अम्बा मेला - यह मेला बांसवाड़ा जिले के घोटिया (बारीगामा) नामक स्थान पर चैत्र अमावस्या को (जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला) भरता है।

कल्लाजी का मेला - यह मेला बांसवाड़ा जिले के गोपीनाथ का गढ़ा नामक स्थान पर आश्विन सुदी नवरात्रि प्रथम रविवार को भरता है।

- **अंदेश्वर मेला** - यह मेला बांसवाड़ा जिले के अंदेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।
- **गोपेश्वर मेला** - यह मेला बांसवाड़ा जिले के घाटोल के निकट कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।
- **मानगढ़ धाम मेला (आदिवासियों का मेला)** - यह मेला बांसवाड़ा के आनंदपुरी के निकट मानगढ़ धाम में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है।

चूरु जिले के मेले

- **भभूता सिद्ध का मेला** - यह मेला चूरु जिले के चंगोई (तारानगर) में भाद्रपद सुदी सप्तमी को भरता है।
- **गोगा जी का मेला** - यह मेला चूरु जिले के ददरेवा गांव में भाद्रपद कृष्ण नवमी (गोगानवमी) को भरता है।
- **सालासर बालाजी का मेला** - यह मेला चूरु जिले के सालासर (सुजानगढ़) में चैत्र व कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।

बारां जिले के मेले

- **सीताबाड़ी का मेला (धार्मिक व पशु मेला)** - यह मेला बारां जिले के सीताबाड़ी, केलवाड़ा (सहरिया जनजाति का कुम्भ) नामक स्थान पर ज्येष्ठ अमावस्या (इस मेले में सहरियाओं का स्वयंवर होता है) को भरता है।
- **डोल मेला** - यह मेला बारां जिले के डोल तालाब पर जलझूलनी एकादशी (भाद्रपद शुक्ल एकादशी) को भरता है। इसमें देवविमानों सहित शोभायात्रा निकलती है।
- **ब्रह्मणी माता का मेला** - यह मेला बारां जिले के सोरसन में भरता है। यहां पर गधों का मेला भी लगता है।
- **फूलडोल शोभा यात्रा महोत्सव (श्रीजी का मेला)** - यह मेला बारां जिले के किशनगंज में होली (फाल्गुन मास की पूर्णिमा) के दिन भरता है।
- **कपिल धारा का मेला** - यह मेला सहरिया क्षेत्र (बारां) में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।

भरतपुर के मेले

- **गंगा दशहरा मेला** - यह मेला भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वारदशी तक भरता है।

- **बसंती पशु मेला** - यह मेला माघ अमावस्या से शुक्ल पंचमी तक भरता है।

- **गरुड़ मेला** - यह मेला भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर में कार्तिक शुक्ल तृतीया को भरता है।

- **भोजन बारी/भोजन थाली परिक्रमा** - भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को कामा में भरता है।

- **जसवंत पशु मेला** - यह मेला भरतपुर जिले में अश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भरता है।

- **बृज महोत्सव** - यह मेला द्वादशी से माघ शुक्ल - डीग भरतपुर में भरता है।

जयपुर के मेले

- **गणगौर मेला** - गणगौर मेला जयपुर में चैत्र शुक्ला तीज व चौथ को भरता है।

- **बाणगंगा मेला** - यह विराटनगर, जयपुर में वैशाख पूर्णिमा को भरता है।

- **शीतलामाता का मेला** - यह मेला चाकसू, जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है।

- **गधों का मेला** - आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकदशी तक लुनियावास (सांगानेर) गांव में भरता है।

- **तीज की सवारी एवं मेला** - यह जयपुर में श्रावण शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है।

भीलवाड़ा के मेले

- **सवाई भोज का मेला** - यह मेला भीलवाड़ा जिले के आसीद में सवाई भोज स्थान पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है।

- **फूलडोल का मेला (रामस्नेही सम्प्रदाय)** - यह मेला भीलवाड़ा जिले के रामनिवास धाम (रामद्वारा) में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक भरता है।

- **तिलस्वां महादेव मेला** - यह मेला भीलवाड़ा जिले के तिलस्वां (मांडलगढ़) में शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के अवसर पर भरता है।

- **सौरत (त्रिवेणी) का मेला** - यह मेला भीलवाड़ा जिले के त्रिवेणी संगम सौरत (मेनाल, मांडलगढ़) में शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होता है।

- **धनोप माता का मेला** - यह मेला भीलवाड़ा जिले के धनोप गांव (खारी व मानसी नदी के बीच स्थित) में चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक भरता है।

जोधपुर के मेले

- **नाग पंचमी का मेला** - यह मेला मंडोर (जोधपुर) में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है।
- **धीगावर बेतमार मेला** - यह मेला जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है।
- **खेजड़ी वृक्ष मेला** - यह मेला जोधपुर के खेजड़ी में भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है।
- **पाबूजी का मेला** - कोलू गांव (फलोदी, जोधपुर) में चैत्र अमावस्या को भरता है।
- **वीरपुरी का मेला** - यह मेला मंडोर (जोधपुर) में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भरता है।
- **बाबा रामदेव जी का मेला** - बाबा रामदेव जी का यह मेला मसूरिया (जोधपुर) में भाद्रपद सुदी द्वादश को भरता है।
- **चामुंडा माता का मेला** - इनके मंदिर में आश्विन शुक्ल नवमी को जोधपुर दुर्ग में एक प्रसिद्ध मेला लगता है।

सिरोही के मेले

- **सारणेश्वर जी का मेला** - यह मेला सिरोही में भाद्रपद सुदी 11 एवं 12 को भरता है।
- **गौतम ऋषि महादेव मेला** - यह मेला सिरोही जिले के चांदीला में अप्रैल माह में भरता है।
- **मारकंडेश्वर मेला** - यह मेला गरासिया समुदाय का मेला है। इसका आयोजन सिरोही जिले के अंजारी गांव में भाद्रपद शुक्ल एकादशी एवं वैशाख पूर्णिमा को होता है।
- **गोर मेला** - यह मेला सिरोही के आबूरोड के सियावा गांव में वैशाख सुदी चतुर्थी को लगता है।

राजसमंद जिले के मेले

- **देव झूलनी मेला** - यह मेला राजसमंद जिले के चारभुजा स्थान पर जलझूलनी एकादशी को भरता है।
- **चेतक अश्व मेला** - यह मेला भी राजसमंद जिले के हल्दीघाटी स्थान पर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भरता है।
- **जन्माष्टमी मेला** - यह मेला राजसमंद जिले के नाथद्वारा में जन्माष्टमी के अवसर पर भरता है।

• **अन्नकूट मेला** - यह मेला राजसमंद जिले के नाथद्वारा एवं कांकरोली में गोवर्धन पूजा के अवसर पर भरता है।

सीकर जिले के मेले

- **बालेश्वर मेला** - यह मेला सीकर जिले के बालेश्वर स्थान पर श्रावण माह में भरता है।
- **शाकंभरी माता का मेला** - यह मेला सीकर जिले के शाकंभरी में नवरात्रा के अवसर पर भरता है। उदयपुरवाटी के पास लगता है।
- **जीणमाता का मेला** - यह मेला सीकर जिले के रेवासा गांव में नवरात्रा चैत्र एवं आश्विन को लगता है।
- **खाटू श्याम बाबा का मेला** - यह मेला सीकर जिले के खाटूश्यामजी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी को लगता है।

टोंक जिले के मेले

- **डिगगी कल्याण जी का मेला** - यह मेला टोंक जिले के डिगगी मालपुरा में अक्टूबर माह (श्रावण शुक्ल एकादशी) में भरता है।
- **चांदसेन पशु मेला** - यह मेला टोंक जिले के मालपुरा कस्बे के पास चांदसेन नामक बांध पर भरता है। यह मार्च-अप्रैल के महीने में लगता है।
- **पाली जिले के मेले**
- **निंबाज पशु मेला** - यह मेला निंबाज (पाली) में 8 फरवरी को प्रतिवर्ष भरता है।
- **वरकाना मेला** - यह मेला पौष शुक्ल दशमी वरकाना में भरता है।
- **परशुराम महादेव मेला** - यह मेला (परशुराम महादेव) पाली में श्रावण कृष्ण षष्ठी और सप्तमी को लगता है।

• **सोनाड़ा खेतलाजी मेला** - यह मेला पाली की देसूरी तहसील में सोनाड़ा स्थान पर चैत्र शुक्ल एकम को लगता है।

• **बिरांटिया महादेव मेला** - यह मेला बिरांटिया खुर्द (पाली) में भाद्रपद कृष्ण एकादशी एवं द्वादशी को भरता है।

सवाई माधोपुर के मेले

- **हीरामन का मेला** - यह मेला सवाई माधोपुर जिले में पशु रोगों एवं उनके लाभ के लिए चमत्कारी देवता का मेला है।

अध्याय - 7

वस्त्र एवं आभूषण

राजस्थान में पुरुष वस्त्र (वेशभूषा)

पगड़ी- इसको पाग, पेचा, फालियो, साफा, घुमालो, फेटो, सेलो, अमलो, लपेटो, बागा, शिरोत्राण, फेंटा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह सिर पर प्लेट जाना वाला लगभग 5.5 मीटर लम्बी एवं 40 सेमी. चौड़ी होती है। उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है तथा जौधपुर का साफा प्रसिद्ध है। युद्ध भूमि में केसरिया पगड़ी, दशहरे पर काले रंग की मंदील पगड़ी, होली पर फूल-पत्तियों वाली पगड़ी, विवाह पर पंचरंगी पगड़ी, श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहिन भाई. को मोठड़ा साफा देती है। मीणा एवं गुर्जर जाति की पगड़ी को फेटा कहते हैं।

धोती- पुरुष द्वारा कमर से घुटने तक पहना जाने वाला वस्त्र है। आदिवासियों/भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती ट्रेपाड़ा/डेपाड़ा कहलाती है। सहरिया जनजाति के लोग धोती को पंछा कहते हैं।

अंगरखी/बुगतरी - पूरी बाँहों का बिना कॉलर एवं बटन वाला कुर्ता जिसमें बांधने के लिए कसमें होती हैं। यह प्रायः सफेद रंग का होता है।

पोतिया - भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र पोतिया कहलाता है।

शेरवानी- शादियों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो घुटने से लम्बा एवं कोटनुमा होता है।

पायजामा - अंगरखी, चुगा और जामे के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र पायजामा कहलाता है।

टोपी- यह पगड़ी की जगह सिर को ढकने का वस्त्र होता है।

कमीज- ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों द्वारा धोती (कमर) के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र।

चुगा - इसे चोगा भी कहते हैं। यह अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है।

आतमसुख - तेज सर्दी से बचने के लिए शरीर पर ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र।

बिरजस (ब्रिजेस) - यह पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला चूड़ीदार वस्त्र होता है।

कमरबंध- इसे पटका भी कहते हैं। यह जामा के ऊपर कमर पर बाँधा जाने वाला वस्त्र होता है, जिसे तलवार या कतार घुसी होती है।

पछेवड़ा - तेज सर्दी में ठण्ड से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा कम्बल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है।

अंगोछा - धूप से बचने के लिए पुरुषों द्वारा सिर पर बाँधा जाने वाला वस्त्र अंगोछा कहलाता है।

राजस्थान में महिलाओं (स्त्रियों) के वस्त्र/वेशभूषा

कुर्ती और कांचली - यह शरीर के ऊपरी हिस्से (कमर के ऊपर) पहनी जाती है। कांचली के ऊपर कुर्ती पहनी जाती है, जिसमें कांचली के बाँहें होती हैं जबकि कुर्ती के बाँहें नहीं होती हैं।

घाघरा - इसे लहंगा, पेटीकोट, घाबला आदि नामों से भी जाना जाता है। यह कमर से नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र होता है, जो कलियों को जोड़कर बनाया जाता है। आदिवासियों के घाघरे को कछाबू कहते हैं। आदिवासियों के नीले रंग के घाघरे को नांदना कहते हैं। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है।

ओढ़नी (लुंगड़ी) - महिलाओं द्वारा यह सिर पर ओढ़ी जाती है। लहरिया, पेमचा, धनक, चुंदरी, मोठड़ा आदि लोकप्रिय ओढ़नियां हैं। इंगरशाही ओढ़नी जौधपुर की प्रसिद्ध है। ताराभांत की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है।

लहरिया - यह श्रावण मास की तीज को पहने जाने वाली अनेक रंगों की ओढ़नी है। समुद्र लहर नामक लहरिया जयपुर में रंगा जाता है।

मोठड़ा- जब लहरिया की धारियां एक-दूसरे को काटती हुई बनावी जाती हैं, तो वह मोठड़ा कहलाती है। मोठड़ा जौधपुर की प्रसिद्ध है।

सलवार- कमर के ऊपर पांवों में पहना जाने वाला वस्त्र।

कुर्ता- यह शरीर के ऊपरी हिस्से पर पायजामा के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है।

कटकी- अविवाहित युवतियां द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कटकी कहलाती है।

आदिवासी महिलाओं के वस्त्र

- तारा भांत की ओढ़नी
- केरी भांत की ओढ़नी
- सावली भांत की ओढ़नी
- लहर भांत की ओढ़नी
- ज्वार भेंट की ओढ़नी
- लूगड़ा
- रैजा - सहरिया स्त्री का विवाह वस्त्र

- चूनाई - यह एक ओढ़नी होती है, इसमें बिंदियों का संयोजन होता है।
- नौदना - यह आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है।
- रेनसाई - लहंगे की छींट जिसमें काले रंग पर लाल एवं भूरे रंग की बूटियां होती हैं।
- जाम साई साई - यह विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र होता है, इसमें लाल जमीन पर फूल-पत्तियां होती हैं।

राजस्थान में आभूषण

राजस्थान में स्त्रियों के प्रमुख आभूषण

सिर के आभूषण-

शीषफूल (सिरफूल या सिरैज), सिरमांग, रखड़ी, बोर (बोरला), गोफण, पतरी, टिकड़ा, मेंमद, फूलगुधर, मेंण।

ललाट (मस्तक) के आभूषण -

बिन्दी, टीका, टीडीभलको, तिलक, सांकली, दामिनी, ताबिता।

नाक के आभूषण -

चूनी, चोप, नथ, लटकन, लूंग, कांटा, फीणी, बाली, बुलाक, बेसरि, बजट्टी, भंवरीया, वारी, खीवण।

कान -

जमेला, झुमका, झेला, बाली, टोटी/बजूली, कर्णफूल, सुरलिया, पीपलपत्रा, पाटीसुलिया, अंगोटिया, ऐरंगपता, कोकरू, खींटली, गुड़दो, छैलकड़ी, झूटणों, बाळा, माकड़ी, मच्छी।

दांत -

चूंप, रखन।

गला -

कंठी, कंठसरी, कंठळ, खुंगाली (हंसली), गलपटिया, आड, चन्द्रहार, चम्पाकली, ठुसी, तुलसी, तिमणिया, मूठ, मादलिया, मोहनमाल, मंगलसूत्र, निम्बोरी, बजण्डी, हार, हालरो, झालरो, खिंवली, गळपटियाँ, छैड़ियो, तगतगई, तांतणियाँ, तैड़ियो, थाळाँ, बठळ।

बाजू -

अणत, कड़ा, कातरिया, पट, तकमा, ठडा, नवरन, बाजूबन्द, भुजबन्द, हारपन, अड़कणी, खांच, बहरखाँ।

कलाई -

कंगन, कंकण, कांकणी कंगन, गोखरू, चूड़ियाँ, हतपान (हथफूल), नोगरी, पुणच/पाँची, गजरो, छैलकड़ो।

अंगुलियां -

अंगूठी, अरसी, दामणा, बीटी, मुरसी।

अंगुठा -

अंगुथळो,

कमर -

कणकती, कन्दोरो, करधनी, तगड़ी, सटको, कड़तोड़ों, कणगावलि, मुखळा।

पैर -

आंवला, कड़ला, घुंघरू, झांझर, टणका, हनका, तोड़ी, लच्छा, लंगर, पायल (कंकणा/पीजणी/पेजणिया/रमझोळ/शकुन्तला), पायजेब, नेवटी, नूपूर, नंकुम, हीरानामी, अणोटपोल, तेघड़, पादसंकळिका, रोळ, टोडरों।

विशेष- पुरुषों के पांव में स्वर्णभूषण टोडर पहना जाता है।

पैर की अंगुली - बिछिया, पगपान, गौर, फोलरी, लछने, गूठलो, दौळीकियाँ।

राजस्थान में पुरुषों के आभूषण

सिर -

कलंगी, सिरपेच, सेहरा, मुकुट।

कान -

मुरकी, ओगनिया, झेला, लूंग।

गला -

कंठा, चैकी, फूल।

हाथ -

कड़ा, मूरत, ठाला, ताती, माठीं

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

• लाख की चूड़ियों के प्रकार:-

पाटला, गोखरू, लहरिया, मोठला, गोलिया, मेथी का चूड़ा, बेलपत्र व पात का चूड़ा, गठिया चूड़ा।

• पड़ला चूड़ा- एक सादा लाल मुटिया चूड़ा जिसे हींगल का चूड़ा एवं सुहाग का चूड़ा भी कहते हैं। इस पर नग नहीं जुड़े होते। यह विवाह से पूर्व दुल्हन के लिए ससुराल से आने वाले पूरे पहनावे के साथ आता है जिसे बरी-पड़ला कहते हैं।

• लहरिया चूड़ा: यह मुख्यतः श्रावण माह में नवविवाहिताओं द्वारा श्रावणी तीज पर पहना जाता है। इस चूड़े में तिरछी धारियाँ (रेखाएँ) होती हैं। लहरिया चूड़ा में सफेद, लाल, नीले एवं पीले रंग की धारियाँ बनाई जाती हैं।

• मकर संक्रांति के दिन महिलाएँ ब्राह्मणी व कुंवारी कन्याओं को सादा पड़ला चूड़ा बाँटती हैं।

राजस्थान की राजव्यवस्था

अध्याय - 1

राज्यपाल

(अनुच्छेद 153)

- भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था, लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है, जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह लिखित किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा लेकिन 7 वें संविधान संशोधन (1956) द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है -

योग्यताएं -

- वह भारत का नागरिक हो।
 - वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
 - किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
 - और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) या वह पदत्याग कर सकता है अनुच्छेद 156 (2)
 - सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए "महाभियोग" प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उस प्रकार भारत के संविधान में

राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।

- राज्यपाल का वर्तमान वेतन ₹ 3,50,000 मासिक है यदि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें।
- राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है।

राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां -

- अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती।
- जब वह अपने पद पर होता है तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -

1. कार्यपालिका संबंधी कार्य -

- राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्य के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात् राज्यपाल राज्यपाल कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्यसचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के

प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्हताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)

- राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें।
- राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिसका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारी आंदोलन होता है। (अनुच्छेद 171) ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य सभा से संबंधित तत्समान सूची में "सहकारी आंदोलन" शामिल नहीं है।

2. विधायी शक्तियां -

- राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है अतः राज्यपाल राज्य विधान मंडल का सत्र आहूत करता है। सत्रावसान करता है। तथा उसका विघटन भी करता है।
- राज्यपाल विधान सभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है।
- राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो योग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है।
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन सकता है।
- यदि विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत करता है (अनुच्छेद 333)
- विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जिस का कार्यकाल 6 सप्ताह तक होता है।
- राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधान मंडल के पास भेजता है परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधायक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक

राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। (अनुच्छेद 201)

- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधायक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दें। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधायक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा।

3. वित्तीय अधिकार -

- राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है।
- विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।
- ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है उस समय तक विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति ना कर दे।

नोट - राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है।

4. न्यायिक अधिकार -

- राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वह किसी दंड को क्षमा, उसका प्रबिलम्बन, विराम या परिहार कर सकता है या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
- यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। (अनुच्छेद 161)

नोट - राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड आदेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड आदेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के दंडादेश के मामले

रूप से सरकार की नीतियों और निर्णयों के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं, भले ही वह निर्णय किसी भी मंत्रालय से संबंधित हो।

- निर्णय लिए जाने तक कोई मंत्री निर्णय के संबंध में विभिन्न मुद्दों से संबंधित अपने मतभेद जाहिर कर सकता है, परंतु यदि मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय ले लिया जाए तो वह सभी मंत्रियों का सामूहिक निर्णय हो जाता है। यह प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णयों का संसद के बाहर और भीतर समर्थन करे। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसके पास त्यागपत्र देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद् एक टीम की तरह कार्य करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो 'वे साथ ही तैरते हैं और साथ ही डूबते हैं' अर्थात् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।
- इसी प्रकार यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद् के विस्फुट अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्यसभा के मंत्रियों समेत सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। वैकल्पिक रूप से मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा का विघटन कर नए चुनाव करवाने की सलाह दे सकती है कि सदन मतदाताओं के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

5.3.2 मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

- अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी निहित है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद को धारण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद् के लोकसभा में विश्वास में रहने के बाद भी राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। हालाँकि, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही पदमुक्त कर सकता है।

अध्याय - 3

राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव

राज्य शासन सचिवालय वह स्थान है जहाँ से शासन व प्रशासन के सत्ता - सूत्रों का संचालन होता है। यह नीति निर्माता के रूप में राजनैतिक नेतृत्व तथा नीति - क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की संयुक्त कार्यस्थली है। यही नीतियाँ तथा कार्यक्रम आकार लेते हैं तथा यही से उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं।

गठन :-

प्रत्येक राज्य का अपना शासन सचिवालय होता है जो विभिन्न विभागों में बँटा होता है। सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार, मुख्यमंत्री तथा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है।

प्रत्येक विभाग का राजनैतिक प्रमुख कैबिनेट मंत्री या राज्यमंत्री होता है। राज्यमंत्री कई बार कैबिनेट मंत्री के साथ सम्बद्ध होते हैं तो कई बार किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। कुछ स्थितियों में राज्यमंत्री किन्हीं विषयों के लिए स्वतंत्र प्रभारी होते हैं तो किन्हीं विषयों के लिए कैबिनेट मंत्री के साथ जुड़े हुए होते हैं। कुछ विभागों में उपमंत्री भी होते हैं पर उनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है।

मुख्य सचिव जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक होता है तथा राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। वह सभी विभागों पर नज़र रखता है तथा उनकी महत्वपूर्ण फाइलें उसके पास आती हैं। वह दो विभागों का सचिव भी होता है - सामान्य प्रशासन विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय। मंत्रिमण्डल के पास जाने वाली समस्त फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से जाती हैं। मुख्य सचिव के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त मुख्य सचिव का है जो मुख्य सचिव के समान वेतन प्राप्त करता है।

राज्य सचिवालय में विभिन्न विभागों के कार्यालय होते हैं। विभागों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान में राज्य सचिवालय में निम्न विभाग हैं :

सचिवालय के विभाग :-

1. आयोजना विभाग
2. उद्योग विभाग
3. ऊर्जा विभाग

4. एन. आई. सी. कंप्यूटर
5. कृषि विभाग
6. कार्मिक विभाग (क)
7. कार्मिक विभाग (ख व ग)
8. खान विभाग
9. खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग
10. खेल कूद एवं युवा मामले विभाग
11. गृह (अभियोजन) विभाग
12. गृह विभाग
13. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
14. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (क. आयुर्वेद विभाग) (ख. परिवार कल्याण विभाग) (ग. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
15. निर्वाचन विभाग
16. जन अभियोग निराकरण विभाग
17. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
18. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
19. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
20. पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग
21. पर्यावरण विभाग
22. परिवहन विभाग
23. पशुपालन विभाग
24. प्रशासनिक सुधार विभाग
25. भू - जल विभाग
26. महाधिवक्ता कार्यालय
27. मंत्रिमण्डल सचिवालय
28. मुख्यमंत्री सचिवालय
29. मुख्य सचिव कार्यालय
30. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
31. राजकीय उपक्रम विभाग
32. राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग
33. लोकायुक्त सचिवालय
34. वन विभाग
35. वित्त विभाग

36. विधि एवं न्याय विभाग (क) विधि रचना एवं संहिताकरण (ख)

37. विभागीय जाँच

38. शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा (क) *माध्यमिक शिक्षा (संस्कृत शिक्षा सहित) (ख) *प्राथमिक शिक्षा (ग) *तकनीकी शिक्षा (घ)

39. श्रम एवं नियोजन विभाग

40. सहकारिता विभाग

41. सहायता विभाग

42. सामान्य प्रशासन विभाग

43. सार्वजनिक निर्माण विभाग

44. सिंचाई विभाग

45. सी. ए. डी. अण्ड वाटर यूटिलाइजेशन विभाग

46. सैनिक कल्याण, देव स्थान, वक्फ विभाग

47. समाज कल्याण विभाग

48. सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

प्रत्येक विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था का ढाँचा समान होता है अर्थात् पदों के स्तर। लेकिन पदों की संख्या में भिन्नता होती है।

प्रत्येक विभाग का राजनीतिक मुखिया एक मंत्री होता है।

विभाग में प्रशासनिक मुखिया शासन सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव होता है। शासन सचिव एक अथवा दो अथवा दो से अधिक विभागों का मुखिया भी हो सकता है। प्रमुख शासन सचिव तथा शासन सचिव के वेतन मानों में अंतर होता है। उनके अधिकारों व उत्तरदायित्वों में कोई अंतर नहीं है कई बार ऐसा भी होता है कि एक सचिव दो या उससे अधिक मंत्रियों के अधीन कार्य करता है। कभी - कभी एक मंत्री के अधीन एक से अधिक सचिव काम करते हैं।

कुछ विभागों में विशिष्ट शासन सचिव होते हैं जो प्रमुख शासन सचिव के अधीन होते हैं। सामान्यतया इस स्तर का एक ही पद एक विभाग में होता है, लेकिन कुछ विभागों में इस स्तर के दो पद भी होते हैं।

पद सोपान की इस श्रृंखला की अगली निम्न सीढ़ी उपसचिव के पद की होती है। ये पाँच प्रकार की